रजिस्ट्रेड सं० डी० (डी)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

Central Secretariat Library

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16, 1974/ कार्तिक 25, 1896
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 1974/KARTIKA 25, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1974

सा०का०नि० 1199—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों के श्रेणी III और IV की रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ और लागू रहने की अवधि—(1) इन नियमों का नाम भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों की श्रेणी III और श्रेणी IV में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1974 है।

(2) ये नियम पहली जुलाई, 1974 को लागू हुए समझे जाएंगे।

(3) ये नियम प्रारम्भ होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

2 परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक प्रसंग से द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "संघ की सशस्त्र सेनाओं" का अभिप्राय संघ की नौसेना, सेना या वायु सेनाओं से है,

(ख) "विकलांग भूतपूर्व सैनिक" का अभिप्राय उन भूतपूर्व सैनिकों से है जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु के विरुद्ध लड़ाई में अथवा अशान्त क्षेत्र में विकलांग हो गए हों।

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो संघ की सशस्त्र सेनाओं में, जिनमें असम राइफल्स, रक्षा सुरक्षा कोर, सामान्य रिजर्व इंजीनियरी सेवा तथा जम्मू व कश्मीर मिलीशिया, लोक सहायक सेना तथा प्रादेशिक सेना को छोड़कर भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेनाएं भी सम्मिलित हैं, किसी पद पर (चाहे लड़ाई से सम्बन्धित हों या उनसे भिन्न) अनुप्रमाणन के बाद कम से कम लगातार छह महीने तक सेवा कर चुका है, और

(i) अपवस्थ किए जाने या, कदाचार या अवक्षता के कारण सेवा से निर्मुक्त किए जाने या इस प्रकार निर्मुक्त किए जाने के समय तक रिजर्व में स्थानान्तरित किए गए हों, या

(ii) निर्मुक्त किए जाने या जैसा कि ऊपर कहा गया है, रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने के पात्र होने के लिए आवश्यक सेवा की अवधि पूरी करने के लिए ऐसी अवधि तक जो छह महीने से अधिक न हो, सेवा करनी है।

(घ) "आरक्षित रिक्तियों" का अभिप्राय नियम 4 के अधीन भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों से है।

3 लागू होना -- ये नियम सभी केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों की श्रेणी III और IV के लिए लागू होंगे।

4. (1) रिक्त स्थानों का आरक्षण—प्रत्येक वर्ग में श्रेणी III के रिक्त स्थानों के और प्रत्येक श्रेणी III की सेवा के इसी प्रकार के पदों में रिक्त स्थानों के 10 प्रतिशत और प्रत्येक वर्ग के श्रेणी IV के पदों में रिक्त स्थानों के, जिसमें प्रारम्भ में अस्थायी आधार पर भरे जाने वाले स्थायी रिक्त स्थान सम्मिलित हैं, 20 प्रतिशत और किसी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले अस्थायी रिक्त स्थान, जिनके स्थायी किए जाने और/या तीन महीने और अधिक समय के लिए चालू रहने की सम्भावना है, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

परन्तु यह कि यदि किसी वर्ग के पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें विहित आरक्षण की प्रतिशतताएं भर्ती की एक वर्ष के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों (जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए अग्रेनीत आरक्षण भी सम्मिलित हैं) की कुल संख्या तक और किसी अन्य वर्गों के लिए, जिनको सम्मिलित करके उस वर्ष में भरे गए किसी वर्ग के पदों के रिक्त स्थानों के 50 प्रतिशत से जितने कम या अधिक हों, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए किए गए आरक्षण उतने ही घटा या बढ़ा दिए जाएंगे।

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षणों में वृद्धि किए जाने की स्थिति में उनके लिए इस प्रकार उपलब्ध हुई अतिरिक्त रिक्तियों का उपयोग पहले विकलांग भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए किया जाएगा और यदि फिर भी ऐसी कोई रिक्ति शेष रह जाये तो वह अन्य भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित रिक्तियों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी :

परन्तु यह कि यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति के किसी भूतपूर्व सैनिक का चुनाव कर लिया जाता है तो उसका चयन आरक्षणों के उस सम्पूर्ण कोटे में गिना जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार निर्धारित करे।

5 आयु सीमा सम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्था--आरक्षित रिक्त स्थानों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक, जो संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम छह महीने की लगातार सेवा कर चुका है उसे अपनी वास्तविक आयु में से इस प्रकार की सेवा की अवधि कम करने दी जाएगी और यदि परिणामी आयु उस पद/सेवा के लिए जिसके लिए वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होती, तो उसकी आयु सीमा सम्बन्धी शर्त पूरी समझी जाएगी।

6. (1) शैक्षणिक योग्यताओं सम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्था--चपरासी, दफ्तरी, जमादार और रिकार्डशार्टर के श्रेणी IV के पदों के किसी आरक्षित रिक्त स्थान की नियुक्ति के लिए, प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक को, जो संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम तीन वर्ष सेवा कर चुका है, विहित शैक्षिक योग्यता में छूट दी जाएगी।

स्पष्टीकरण--इस उपनियम के प्रयोजन के लिए ऐसी सेवा की अवधि, जो किसी व्यक्ति ने संघ की सशस्त्र सेनाओं में की है, ऐसी अवधि भी गिनी जाएगी जो उसने भारत सरकार के किसी सिविल विभाग में सेवा के दौरान की है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिक्तियों को छोड़कर श्रेणी IV के पदों की किसी भी आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पदों के सम्बन्ध में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में, यदि कोई हो, उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वविवेक से छूट दे सकता है जो अन्यथा ऐसे पदों पर नियुक्ति के पात्र हैं।

7 भर्ती के नियमों का संशोधन — केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी III और श्रेणी के IV पदों और सेवाओं में व्यक्तियों की भर्ती का विनियमन करने वाले सभी नियम इन नियमों के उपबन्धों के अधीन होंगे और इनका अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

[सं० 13/24/73–स्थापना(ग)]

जे० एस० अहलुवालिया, अवर सचिव

भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों के श्रेणी III और श्रेणी IV के रिक्त स्थानों का आरक्षण) नियम, 1974 का

व्याख्यात्मक ज्ञापन

समय समय यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों (श्रेणी III और श्रेणी IV) में रिक्त स्थानों का आरक्षण) नियम, 1971 के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों, श्रेणी III और श्रेणी IV में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण उपलब्ध थे। ये नियम पहली जुलाई, 1974 से लागू नहीं रहे। इन नियमों का अभिप्राय यह था कि उन भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति को सुनिश्चित किया जाए जो अपेक्षाकृत युवावस्था में सेवोनमुक्त हो गए हैं, जबकि वे सिविल नौकरी में उपयोगी हो सकते हैं। अतः आरक्षणों की अवधि को पहली जुलाई, 1974 से और पांच वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है जिससे पहली जुलाई, 1974 से उत्पन्न होने वाली आरक्षित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति हो सके। इन नियमों से किसी व्यक्ति के हकों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 26th October, 1974

G.S.R. 1199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the reservation of vacancies in the Central Civil Services and Posts, Class III and Class IV, for ex-servicemen, namely:—

1. Short title, commencement and period of operation :—(1) These rules may be called the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Central Civil Services and Posts, Class III and Class IV) Rules, 1974.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 1974.

(3) They shall remain in force for a period of five years from the date of their commencement.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Armed Forces of the Union" means the Naval, Military or Air Forces of the Union;

(b) "disabled ex-serviceman" means an Ex-serviceman who while serving in the Armed Forces of the Union was disabled in operations against the enemy or in disturbed areas;

(c) "ex-serviceman" means a person, who has served in any rank (whether as a combatant or as non-

combatant), in the Armed Forces of the Union, including the Armed Forces of the former Indian States but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Jammu and Kashmir Militia, Lok Sahayak Sena and Territorial Army, for a continuous period of not less than six months after attestation, and

(i) has been released, otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or has been transferred to the reserve pending such release, or

(ii) has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid,

(d) "reserved vacancies" means vacancies reserved under rule 4 for being filled by ex-serviceman.

3. Application.—These rules shall apply to all the Central Civil Services and Posts, Class III and Class IV.

4. (1) Reservation of vacancies.—Ten per cent of the vacancies in each of the categories of Class III posts and of such posts in each Class III service and twenty per cent of the vacancies in each of the categories of Class IV posts and of such posts in each Class IV service including permanent vacancies filled initially on a temporary basis and temporary vacancies which are likely to be made permanent and/or are likely to continue for three months or more, to be filled by direct recruitment in any year shall be reserved for being filled by ex-servicemen :

Provided the percentages of reservation so specified for ex-servicemen in a category of posts shall be increased or decreased in any one recruitment year to the extent to which the total number of vacancies reserved for ex-servicemen, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, (including the carried forward reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) and for any other categories taken together falls short or is in excess, as the case may be, of fifty percent of the vacancies in that category of posts filled in that year :

Provided further that in case of an increase in the reservation for the ex-servicemen under the preceding proviso, the additional vacancies so made available for them shall be utilised first for the appointment of disabled ex-servicemen and if any such vacancies still remain unfilled thereafter the same shall then be made available to other ex-servicemen.

(2) Out of the vacancies reserved for being filled by ex-servicemen, vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with orders as are issued in this behalf by the Central Government from time to time :

Provided that if any ex-serviceman belonging to a Scheduled Caste or Scheduled tribe is selected, his selection shall be counted against the overall quota of reservations that shall be provided for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. Special provision regarding age limit.—For appointment to reserved vacancies every ex-serviceman who has put in not less than six months' continuous service in the Armed Forces of the Union shall be allowed to deduct the period of such service from his actual age and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for the post/service for which he seeks appointment by more than three years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit.

6. (1) Special provision regarding educational qualifications.—For appointment to any reserved vacancy in the Class IV posts of Peon, Daftry, Jamadar and Record Sorter, every ex-serviceman, who has put in not less than three years' service in the Armed Forces of the Union shall be exempt from the prescribed educational qualifications.

EXPLANATION.—In computing for the purpose of this sub-rule, the period of service which a person has put in, in the Armed Forces of the Union, any period during which he served in a Civil Department of the Government of India shall be included.

(2) For appointment to any reserved vacancy in the Class IV posts other than those referred to in sub-rule (1), the appointing authority may at its discretion relax the minimum educational qualifications, if any, prescribed in respect of such posts in favour of ex-servicemen who are otherwise eligible for appointment to such posts.

7. Amendment of recruitment rules.—All rules regulating the recruitment of persons to Class III and Class IV posts and services under the Central Government shall be subject to the provisions of these rules and shall be construed accordingly.

[No. 13/24/73-Ests(C)]

J. S. AHLUWALIA, Under Secy.

Explanatory Memorandum to the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Central Civil Services and Posts, Class III and IV) Rules, 1974.

Under the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Central Civil Services and Posts, Class III and Class IV) Rules, 1971, as amended from time to time, the reservations for the ex-servicemen were available in the vacancies filled by direct recruitment in the Central Civil Services and Posts, Class III and Class IV. These rules ceased to be in force with effect from the 1st July, 1974. The underlying intention of these rules was to ensure rehabilitation of Ex-servicemen who are released at comparatively young age when they can be useful in civil life. It has, therefore, been decided to extend the period of reservations for a further period of five years with effect from 1st July, 1974 so as to provide for the appointment of ex-servicemen in the reserved vacancies arising from the 1st July, 1974. This will not adversely affect the rights of any person.

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1974

सा०का०नि० 1200.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (श्रेणी III और श्रेणी IV के पद) भर्ती नियम, 1967 में आगे और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (श्रेणी III और श्रेणी IV के पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 है ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (श्रेणी III और श्रेणी IV के पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में,—

(1) क्रमांक 3 के सामने इन्स्पेक्टर के पद से सम्बन्धित कालम 6, 7, 9 और 10 की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश. निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात्:—

कालम 6 "लागू नहीं होता"

कालम 7 "लागू नहीं होता"

कालम 9 (क) 40 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, और ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा ।

(ख) 60 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा ।

टिप्पणी—विशेष पुलिस स्थापना या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में सब-इन्स्पेक्टर के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्ति (..) के सामने की प्रविष्टि में दर्शाये गये पदोन्नति कोटा में उन्नति के पात्र नहीं होंगे । तथापि, यदि प्रति-

नियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की पद्धति अपनायी गयी तो (क) के सामने की प्रविष्टि या (ख) के सामने की प्रविष्टि में दर्शाये गये कोटा के अधीन उन व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है ।

नोट 1—यदि किसी राज्य में इन्स्पेक्टर के पद का स्तर अराजपत्रित हो तो उस राज्य के पुलिस दल से प्रतिनियुक्ति या पदोन्नति पर आये हुये अधिकारी का एस० पी० ई० की शाखा में इन्स्पेक्टर के पद पर उस राज्य के ऐसे स्थान पर राजपत्रित स्तर होगा जहां राज्य के स्थानीय पुलिस दल के समान स्तर के अधिकारियों का स्तर राजपत्रित हो ।

नोट 2—राज्य पुलिस दल में जिन व्यक्तियों का स्तर राजपत्रित है, उन व्यक्तियों का स्तर विशेष पुलिस स्थापना या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति के दौरान, व्यक्तिगत रूप से राजपत्रित ही रहेगा ।"

कालम 10 "स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति—केन्द्रीय पुलिस दल या राज्य पुलिस दल में समान या बराबर के ग्रेडों में कार्य कर रहे व्यक्ति ।

या

केन्द्रीय पुलिस दल या राज्य पुलिस दल के वे सब-इन्स्पेक्टर जिन्होंने सब-इन्स्पेक्टर के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

या

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक या रेलवे के इन्स्पेक्टर या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के इन्स्पेक्टर या प्रिवेन्टिव आफीसर, ग्रेड-1 या सीमा-शुल्क कार्यालयों के परीक्षक या आयकर इन्स्पेक्टर, अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों में समकक्ष ग्रेडों में नियमित रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति जिन्हें सतर्कता या जांच कार्य का कम से कम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो ।

(प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

पदोन्नति—विशेष पुलिस स्थापना या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सब-इन्स्पेक्टर जिन्होंने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।"

(2) कालम 6, 7, 9 और 10 में क्रमांक 4 के सामने सब-इन्स्पेक्टर के पद से सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात् :—

कालम 6 "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट"

कालम 7 "नहीं"

कालम 9 "(क) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती से और ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण से ।

(ख) 20 प्रतिशत पदोन्नति से और ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण से ।

टिप्पणी—विशेष पुलिस स्थापना या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में असिस्टैन्ट सब-इन्स्पेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्ति (ख) के सामने की प्रविष्टि में दर्शाये गये कोटा में पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे । किन्तु ऐसे प्रतिनियुक्ति अधिकारियों पर, यदि वे अन्यथा उपयुक्त हों, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है यदि भर्ती की ऐसी पद्धति अपनायी जाये ।"

कालम 10 "स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति—वे व्यक्ति जो केन्द्रीय पुलिस दल या राज्य पुलिस दल या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों में समान या बराबर के ग्रेडों में कार्य कर रहे हों, या वे असिस्टैन्ट सब-इन्स्पेक्टर जिन्होंने इस पद पर 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या केन्द्रीय पुलिस दल या राज्य पुलिस दल के वे हैड-कान्स्टेबल जिन्होंने इस पद पर 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

पदोन्नति—विशेष पुलिस स्थापना/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वे असिस्टैन्ट सब-इन्स्पेक्टर जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पूरी कर ली हो ।"

[सं० 213/6/70-एवीडी-2]

बी० सी० बनजानी, अवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1974

G.S.R. 1200.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Bureau of Investigation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Bureau of Investigation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1967 :—

(i) for the entries in columns 6, 7, 9 and 10 pertaining to the post of Inspector against serial No. 3, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

Column 6 "Not applicable"

Column 7 "Not applicable"

Column 9 "(a) 40% by promotion failing which by deputation/transfer.

(b) 60% by deputation/transfer.

N.B. Persons holding posts of Sub-Inspector in the Special Police Establishment or the Central Bureau of Investigation on deputation will not be eligible for promotion in the quota shown against the entry at (a). They may, however, be considered for appointment by deputation or transfer when such method is resorted to under the quota shown against the entry at (a) or against the entry at (b).

Note 1 : A promotee or a deputationist from the Police Force of any State where the Inspector holds a non-Gazetted status shall also have a Gazetted rank while holding the posts of an Inspector in the Special Police Establishment Branches at a particular station where the officers of the corresponding rank in the local State Police Force are Gazetted.

Note 2: Persons having Gazetted status in State Police Forces will continue to hold that Status as personal to them while on deputation to the Sepecial Police Establishment or the Central Bureau of Investigation."

Column 10. "Transfer/deputation.—Persons working in similar or equivalent Grade in the Central or State Police Forces.

OR

Sub-Inspectors in the Central or State Police Forces with five years of service as Sub-Inspector.

OR

Assistants in the Central Secretariat Service or Inspectors of Railways or Inspector of Central Excise and Customs or Preventive Officer, Grade I or Examiner in the Customs Houses or Income Tax Inspectors or persons working in the equivalent grade on regular basis under the Central Government or the State Governments departments with at least five years executive experience in vigilance or investigation work.

(The period of deputation ordinarily not exceeding three years).

Promotion

Sub-Inspectors in the Special Police Establishment or the Central Bureau of Investigation with five years of service in the grade in the Central Bureau of Investigation".

(ii) for the entries in column 6, 7, 9, 10 pertaining to the post of Sub-Inspector against Serial No. 4 the following entries shall respectively be substituted, namely :—

Column 6 "Graduate of a recognised University".

Column 7 "No."

Column 9 "(a) 80 per cent by direct recruitment failing which by deputation or transfer.

"(b) 20 per cent by promotion failing which by deputation or transfer.

N.B. Persons holding posts of Assistant Sub-Inspectors in the Special Police Establishment or the Central Bureau of Investigation on deputation will not be eligible for promotion in the quota shown against the entry at (b). Such deputationists may, however, be considered for appointment by deputation or transfer when such method of recruitment is resorted to, if they are otherwise suitable."

Column 10 Transfer/deputation

Persons working in similar or equivalent grades in the Central or State Police Forces or the Central or State Government departments or Assistant Sub-Inspectors with three years service in that rank or Head Constables with 6 years service in the that rank in the Central or State Police Forces.

(The period of deputation ordinarily not exceeding three years).

Promotion

Assistant Sub-Inspectors in the Special Police Establishment/Central Bureau of Investigation with 3 years of service in that grade in the Central Bureau of Investigation".

[No. 213/6/70—AVD. II]

B. C. VANJANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 1201.—भारतीय प्रशासन सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) और उपनियम (2) के प्रथम परन्तुक के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार से परामर्श करके, भारतीय प्रशासन सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (काडर संख्या का नियतन) तेइसवां संशोधन विनियम 1974 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 भारतीय प्रशासन सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में, 'आन्ध्र प्रदेश' शीर्ष के अधीन 1 राज्य सरकार के अधीन 'ज्येष्ठ पद' उपशीर्ष के नीचे,—

(i) उपायुक्त वाणिज्यिक कर और/या अपर/संयुक्त सचिव, राजस्व बोर्ड, प्रविष्टि के सामने, अंक '3' के स्थान पर अंक '2' रखा जाएगा ।

(ii) 'कृषि निदेशक' प्रविष्टि के पश्चात् 'निदेशक आसवनी और मद्यशाला .... 1' प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी ।

[संख्या 10/25/74-ए० आई० एस०-2-क]

New Delhi, the 2nd November, 1974

G.S.R. 1201.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Twenty-third Amendment Regulations, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "ANDHRA PRADESH", under the sub-heading, 1. "Senior posts under the State Government",—

(i) for the figure "3" against the entry "Deputy Commissioner of Commercial Taxes and/or Additional/Joint Secretary, Board of Revenue", the figure "2" shall be substituted,

(ii) after the entry "Director of Agriculture" the entry "Director of Distilleries and Breweries.....1" shall be inserted.

[No. 10/25/74-AIS. II-A.]

सा०का०नि० 1202.—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम II के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार से परामर्श कर के, भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) उन्नीसवां संशोधन नियम, 1974 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 मे, 'अनुसूची III–ख' में,—

राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के ज्येष्ठ वेतन मान में वेतन वाले पद, जिनके अन्तर्गत कार्य वेतनमान मे के वेतन के अतिरिक्त, विशेष वेतन वाले पद भी हैं, सारणी मे, स्तम्भ 1 में 'आन्ध्र प्रदेश' प्रविष्टि के सामने, स्तम्भ 2 मे 'सचिव, आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड' प्रविष्टि के पश्चात् 'निदेशक आसवनी और मद्य शाला' प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी ।

[सं० 10/25/74-ए०आई०एस-2-ख]

एस० हबीबुल्लाह, अवर सचिव

G.S.R. 1202.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Andhra Pradesh, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Nineteenth Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, in "Schedule III-B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale", in the Table, against the entry "Andhra Pradesh" in column 1, the entry "Director of Distilleries and Breweries" shall be inserted in column 2 after the entry "Secretary, Andhra Pradesh State Electricity Board."

[No. 10/25/74-AIS(II)-B]

S. HABEEBULLAH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1974

सा०का०नि० 1203.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में पशु-चिकित्सा ड्रेसर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : (1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (पशु-चिकित्सा ड्रेसर) भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतनमान इन नियमों की संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिये गए अनुसार होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पद में संबंधित भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में दिये गये अनुसार होंगे।

4. अनर्हता : ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का समझौता किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो अथवा,

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो। उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत इस प्रकार के विवाह की अनुमति दी जा सकती हो और ऐसा करने के अन्य आधार भी हों तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के बंधन से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है तो वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की किसी भी बात द्वारा उन आरक्षणों तथा रियायतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों को दिये जाने आवश्यक हैं।

अनुसूची

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी के पद के भर्ती नियम पशु-चिकित्सा ड्रेसर के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिये आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए शैक्षिक और अन्य अपेक्षित अर्हताएं।
1	2	3	4	5	6	7
पशु चिकित्सा ड्रेसर	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी 4 अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	रु० 75-1-85-2-95	चयन पद	21 से 30 वर्ष के बीच	(1) हाई स्कूल स्टेन्डर्ड पास। (2) किसी हस्पताल अथवा किसी राज्य/केन्द्रीय सरकारी कार्यालय मे पशु चिकित्सा ड्रेसर के रूप मे तीन वर्ष का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती पद्धति, सीधी भर्ती से अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण से भर्ती किए जाने पर वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किए जाने हैं।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है।
8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा इसके अभाव में प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा तथा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(1) पदोन्नति : अकादमी में कार्यरत साइसों से जिन्हें पशु-चिकित्सा ड्रेसिंग का अनुभव हो। (2) स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति समान/समकक्ष ग्रेडों से।	जूनियर विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होना।

[संख्या 32/ई/35/74-प्रशिक्षण]

हंसराज लोढ़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd November, 1974

G.S.R. 1203.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Veterinary Dresser in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Mussoorie namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Veterinary Dresser) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the post, its classification and the scale of pay —The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person :—

(a) who has entered into or contracted, a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment for the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Recruitment Rules for the posts in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.
(Recruitment Rules for the posts of Veterinary Dresser)

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Veterinary Dresser	One	General Central Service, Class IV Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 75-1-85-2-95	Selection post	Between 21 to 30 years.	(i) High School standard pass. (ii) Three years experience as Veterinary Dresser in a Hospital or in a State/Central Government Office.

Whether age and Educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage if the vacancies to be filled by various methods	In the case of recruitment by promotion/transfer grades from promotion deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By promotion failing which, by deputation/transfer and failing both, by direct recruitment.	(i) Promotion : from syces working in the Academy having knowledge of Veterinary Dressing. (ii) Transfer/Deputation from similar/equivalent grades.	Junior Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

[No. 32/E/35/74-Trg.]
H. R. LODHA, Under Secy.

गृह मंत्रालय

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली 7 अक्तूबर, 1974

सा० का० नि० 2204—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक, कर्णाटक के कार्यालय में श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों की भर्ती विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक, कर्णाटक का कार्यालय (श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पद) भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 **लागू होना**.—ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3 **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**:—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

4 **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5 **निरर्हताएं**: वह व्यक्ति .—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करना स्थिर किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करना स्थिर किया है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6 **अपवाद** —इन नियमों की किसी बात का, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7 **छूट देने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध से किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा छूट दे सकेगी।

अनुसूची

जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक कर्णाटक के कार्यालय में श्रेणी-III और श्रेणी V के पदों के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है या अप्रवरण	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. मुख्य सहायक	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-III, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रु० 350-20-450-द०रो०-25-475	प्रवरण	35 वर्ष	**आवश्यक** : 1 किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकीय उपाधि। 2. किसी सरकारी कार्यालय या प्रसिद्ध वाणिज्य संस्थान में स्थापना, रोकड़ और लेखा सम्बन्धी विषयों का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
2 उच्च श्रेणी लिपिक	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-III, अराजपत्रित, सचिवीय	रु० 130-5-160-8-200-द०रो०-8-256-द०रो०-8-280-10-300	अप्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित/ शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं पदोन्नति वाले मामलों में भी लागू होंगी ?	परिवीक्षा की अवधि	क्या भर्ती की पद्धति अर्थात् सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती की जाएगी और विभिन्न पदनियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की जानी हो तो किन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद हो तो उसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
			प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :		
नही	2 वर्ष	स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न हो सकने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	केन्द्रीय/राज्य सरकार के वे उपयुक्त कर्मचारी जिनकी सेवा रु० 210-380 या इससे अधिक वेतनमान में 5 वर्ष हो चुकी हो और उन्हे बजट एवं लेखा कार्य का अनुभव हो और कार्यालय पद्धति तथा नियमो की जानकारी हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत. 3 वर्ष से अधिक नही होगी)।	श्रेणी-III, विभागीय पदोन्नति समिति।	लागू नही होता
			पदोन्नति :		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, और ऐसा न हो सकने की स्थिति मे प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण।	रु० 110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180 के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिकों में से वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर 80 प्रतिशत। रु० 110-3-131-4-155-व० रो०-4-175 5-180 के ग्रेड में दो वर्ष की सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिकों मे से सीमित प्रतियोगिता के आधार पर 20 प्रतिशत। **प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :** केन्द्रीय/राज्य सरकार के ऐसे उपयुक्त अवर श्रेणी लिपिक जिनकी न्यूनतम सेवा उस ग्रेड में तीन वर्ष की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष होगी)।	श्रेणी-III, विभागीय पदोन्नति समिति।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
						आवश्यक :
3. अवर श्रेणी लिपिक	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-III, अराजपत्रित, सचिवीय	रु० 110-3-131-4-155-द०रो०-4-175-5-180	लागू नहीं होता	25 वर्ष	1. मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा। 2. न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति, और यह भी व्यवस्था की जाती है कि : (क) टंकण की उपर्युक्त योग्यता न रखने वाले को इस शर्त पर नियुक्त किया जा सकता है कि जब तक वह टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त नहीं कर लेगा, वह वेतन वृद्धियां पाने या स्थायीकरण का पात्र नहीं होगा। (ख) ऐसा कोई विकलांग व्यक्ति, जो अन्यथा लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हो, परन्तु टंकण की उपर्युक्त योग्यता न रखता हो, उसे इस शर्त पर नियुक्त किया जा सकता है कि विकलांगों के विशेष रोजगार कार्यालय से सम्बद्ध मेडिकल बोर्ड यह प्रमाणित कर दे कि उक्त विकलांग टंकण कर सकने की स्थिति में नहीं है—(अन्य बातें समान होने पर जनगणना कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी)
						आवश्यक :
4. आशुलिपिक	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-III, अराजपत्रित, सचिवीय	रु० 210-10-290-15-320-द०रो०-15-425	प्रवरण	25 वर्ष	1. मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा। 2. अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति-मिनट की गति और अंग्रेजी आशु-लेखन में न्यूनतम 120 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए।
						वांछनीय : किसी सरकारी कार्यालय या प्रसिद्ध व्यापारिक संस्थान में आशुलिपिक के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा. टिप्पणी : 10 प्रतिशत रिक्तियां निम्नलिखित शर्तों पर (जनगणना कार्य निदेशक और पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक के कार्यालय के नियमित कर्मचारी स्थापना में सम्मिलित) श्रेणी-IV के कर्मचारियों में से भर्ती के लिए आरक्षित की जाएगी.— (क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात् मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष योग्यता की शर्त पूरी करने वाले श्रेणी-IV के कर्मचारियों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। (ख) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों/आदिम जनजातियों के लिए 50 वर्ष) होगी। (ग) श्रेणी-IV में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य शर्त होगी। अवर श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में किसी एक वर्ष में होने वाली रिक्तियों में से अधिकतम 10 प्रतिशत रिक्तियां इस पद्धति से भरी जाएंगी, और भरी न गई रिक्तियों को आगे नहीं ले जाया जाएगा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यताएं : हां	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण, और ये दोनों ही न हो सकने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : रु० 130—300 के ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा वाले आशुलिपिक जिनके पास कालम 7 में निर्धारित योग्यताएं हों। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में समान पदों पर काम करने वाले आशुलिपिक। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	श्रेणी-III विभागीय पदोन्नति समिति।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. कनिष्ठ आशुलिपिक	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-III, अराज-पत्रित, सचिवीय	रु० 130-5-160-8-200-द०रो०-8-250-द०रो०-8-280-10-300	लागू नही होता	25 वर्ष	आवश्यक : 1. मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा। 2. अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी आशुलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। वांछनीय : किसी सरकारी कार्यालय या प्रसिद्ध व्यापारिक संस्थान में आशुलिपिक/आशुटंकण के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव।
6. स्टाफ कार ड्राइवर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-III, अराज-पत्रित, अनुसचिवीय	रु० 110-3-131-1-139	लागू नहीं होता	23–30 वर्ष	आवश्यक : 1. अंग्रेजी और हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान। 2. ड्राइविंग का व्यावसायिक ज्ञान, मोटर यांत्रिकी की जानकारी, सामान्य रूप से चुस्त व्यक्तित्व, कार और भारी गाड़ियां चलाने का लाइसेंस और ड्राइविंग का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से मिडिल स्कूल के स्तर की परीक्षा पास।
7. दफ्तरी	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-IV, अराजपत्रित	रु० 75-1-85-द०रो०-2-95	अप्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नही होता

8	9	10	11	12	13
			प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	3 वर्ष की सेवा वाले ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों में से, जिनके पास कालम 7 में निर्धारित योग्यताएं हों, आशुलेखन और टंकण की परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा, और ऐसा न हो सकने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	केन्द्रीय/राज्य सरकारों के कार्यालयों में समान पदों पर कार्य करने वाले उपयुक्त आशुलिपिक। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नही होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानांतरण द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और ये दोनों न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	स्थानांतरण : कालम 7 मे निर्धारित योग्यताओं वाले (इस कार्यालय के) नियमित श्रेणी-IV कर्मचारियों में से ड्राइविंग आदि की परीक्षा द्वारा। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में समान/समकक्ष पदो पर काम करने वाले व्यक्ति। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	लागू नही होता	लागू नही होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : रु० 70-1-80-द० रो०-1-85 के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले चपरासी।	श्रेणी-IV विभागीय पदोन्नति समिति।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
8 चपरासी	10	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-IV, अराजपत्रित	रु० 70-1-80-द०रो०-1-85	लागू नहीं होता	25 वर्ष	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से मिडिल स्कूल स्तर की परीक्षा पास ।
9. चौकीदार	6	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी IV, अराजपत्रित	रु०70-1-80-द०रो०-1-85	लागू नहीं होता	25 वर्ष	वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से प्राथमिक स्कूल के स्तर की परीक्षा पास ।
10. सारणी-करण अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी सहायक	10	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी –III अराजपत्रित अनुसचिवीय	रु० 350-20-450-द०रो०-25-275	प्रवरण	25 वर्ष	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर या उसके समकक्ष आनर्स की उपाधि । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) के विषय के साथ स्नातकीय उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में दो वर्ष का सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण । वांछनीय : सारणीकरण के कार्य का 3 वर्ष का अनुभव ।
11. सांख्यिकी सहायक	35	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी–III, अराजपत्रित अनुसचिवीय	रु० 210-10-290-15-320-द०रो०-15-425	प्रवरण	25 वर्ष	आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समकक्ष आनर्स की उपाधि । या गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकीय उपाधि और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में सांख्यिकी विषय का दो वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण ।
12 कम्प्यूटर	40	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी–III, अराजपत्रित अनुसचिवीय	रु०150-5-160-8-240-द०रो०-8-280-10-300	अप्रवरण	25 वर्ष	आवश्यक : गणित या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी विषय के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकीय उपाधि । वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का प्रमाणपत्र । या सांख्यिकी आंकड़े इकट्ठे करने और कैलकुलेटिंग मशीनों को प्रयोग करने का एक वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
लागू नही होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
आयु—नहीं शैक्षणिक योग्यता—कालम 7 में अथ-निर्दिष्ट सीमा तक	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा	रु० 210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले ऐसे सांख्यिकी सहायक/ कनिष्ठ अन्वेषक जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की न्यूनतम स्नातकीय उपाधि हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार के ऐसे उप-युक्त कर्मचारी जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की न्यूनतम स्नातकीय उपाधि हो और पर्य-वेक्षक की स्थिति में सांख्यिकी कार्य का 3 वर्ष का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	श्रेणी–III विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नही होता
नहीं	2 वर्ष	(i) पदोन्नति–50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और ऐसा न हो सकने पर प्रति-नियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	पदोन्नति : रु० 150-5-160-8-240-द०रो०-8-280-10-300 के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले कम्प्यूटर । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार के ऐसे उप-युक्त कर्मचारी जिनके पास सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	श्रेणी–III, विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नही होता
नही	2 वर्ष	पदोन्नति—50 प्रतिशत स्थानान्तरण—25 प्रतिशत सीधी भर्ती—25 प्रतिशत	पदोन्नति : रु० 110-3-131-4-155-द०रो०-4-175-5-180 के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक संकलन कर्त्ता । स्थानान्तरण : रु० 130-5-160-8-200-द०रो०-8-256-द०रो०-8-280-8-300 के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक ।	श्रेणी–III, विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
13. सहायक संकलनकर्ता	129	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-III, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रु० 110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180	लागू नहीं होता	21 वर्ष	आवश्यक 1. मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा पास। 2 कैलकुलेटिंग मशीनों के प्रयोग में दक्षता। या यान्त्रिक सारिणीकरण के उपकरण वाले किसी कार्यालय या फर्म में कोडिंग और पंचिंग का अनुभव।
14 मुद्रण निरीक्षक	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-III, अराजपत्रित अनुसचिवीय	रु० 210-10-290-15-320-द० रो०-15-425	प्रवरण	25 वर्ष	आवश्यक 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकीय उपाधि या इसके समकक्ष। 2 किसी सरकारी विभाग/मुद्रणालय/संस्थान में मुद्रण कार्य सहित प्रूफ रीडिंग और यान्त्रिक चिन्हों का 3 वर्ष का अनुभव, यदि सारिणी कार्य का हो तो अधिक उत्तम होगा।
15. कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन	6	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-III, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रु० 110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180	लागू नहीं होता	25 वर्ष	आवश्यक 1 मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा पास। 2. नक्शों, चार्टों और पुस्तकों के आवरण पृष्ठ बनाने के कुछ ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कला या ड्राफ्ट्समैनशिप में डिप्लोमा।
16. प्रूफ रीडर	4	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-III, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रु० 150-5-175-6-205-द० रो०-7-240	लागू नहीं होता	25 वर्ष	आवश्यक 1 मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा पास। 2 किसी सरकारी कार्यालय/मुद्रणालय या प्रसिद्ध निजी मुद्रणालय में प्रूफ ठीक करने का दो वर्ष का अनुभव।
17. ड्राफ्ट्समैन	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-III, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रु० 150-5-175-6-205-द० रो०-7-240	लागू नहीं होता	25 वर्ष	आवश्यक 1. मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा पास। 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से व्यावसायिक या ललितकला या ड्राफ्ट्समैनशिप में डिप्लोमा और नक्शे, चार्ट तथा पुस्तकों के आवरण पृष्ठ तैयार करने का कुछ ज्ञान। वांछनीय : ड्राफ्ट्समैन और आर्टिस्ट के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
13 लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता
			पदोन्नति :		
14 नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण और ये दोनों ही न हो सकने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	रु० 150-5-175-6-205-ब० रो०-7-240 के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले प्रूफ रीडर।	श्रेणी-III, विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता
			प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय/राज्य सरकार के मुद्रणालयों के उपयुक्त प्रूफ रीडर।		
			(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)		
15 लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता
			प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण		
16 लागू नही होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	केन्द्रीय/राज्य सरकार मुद्रणालयों के उपयुक्त प्रूफ रीडरों में से।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
			(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)		
			प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण		
17 लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा और ऐसा न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण।	केन्द्रीय/राज्य सर्वेक्षण कार्यालयों के उपयुक्त कर्मचारी।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
			(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)		

[सं. 4/32/73-आर. जी. (रा. डी. I)]

बद्री नाथ

भारत के उप-महापंजीकरण और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पदेन उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 7th October, 1974

G S R 1204—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Class III and Class IV posts in the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Karnataka, namely —

2 Short title and commencement —(1) These rules may be called the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Karnataka (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1974

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 Application —These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto

3 Number of posts, classification and scale of pay — The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule

4 Method of Recruitment, age limit and other qualifications etc —The methods of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid

5 Disqualifications —No person,—

(a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

6 Saving —Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the members of the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other specially categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

7 Power to relax —Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts

SCHEDULE

Recruitment Rules for Class III and Class IV posts in the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Karnataka

Name of post	No of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1 Head Assistant	1	General Central Service, Class III, Non gazetted, Ministerial	Rs 350 20-450-EB-25-475	Selection	35 years	Essential . (1) Degree of a recognised University (2) Minimum 5 years' experience in establishment, cash and accounts matters in a Government Office or a commercial firm of repute
2 Upper Division Clerk	1	General Central Service, Class III, Non-gazetted, Ministerial	Rs 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280 10-300	Non-Selection	Not applicable	Not applicable
3, Lower Division Clerk	2	General Central Service, Class III, Non gazetted, Ministerial	Rs 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180	Not applicable	25 years	Essential : 1 Matriculation or Equivalent 2 Minimum speed of 30 words per minute in typewriting, provided that (a) a person not possessing the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that he shall not be eligible for drawing increments in the pay scale or for Quasi-permanency or for confirmation in the grade till he acquired the minimum speed of 30 words per minute in typewriting, (b) a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for the handicapped certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to typewrite (other things being equal preference shall be given to ex-census employees)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In the case of rectt. by promotion / deputation/transfer, grades from which promotion/deputation transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years	By transfer on deputation, failing which, by direct recruitment	Transfer on Deputation : Suitable officials of Central/State Government having 5 years service in the scale of Rs. 210-380 or above and experience of budget and accounts work and conversant with office procedure and rules. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable
Not applicable	2 years	By promotion, failing which, by transfer on deputation.	Promotion : 80% on the basis of seniority-cum-fitness from Lower Division Clerks with 3 years' regular service in the grade (Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180); 20% on the basis of a limited competitive examination from among Lower Division Clerks with 2 years' service in the grade (Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180). Transfer on deputation : Suitable Lower Division Clerks of the Central/State Government having at least three years' service in the grade (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment NOTE: 10 % of the vacancies shall be reserved for being filled up by Class IV employees (borne on regular establishment of the office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations) subject to the following conditions : (a) Selection shall be made through a Departmental examination confined to such Class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualifications, viz. Matriculation or equivalent (b) The maximum age for this examination shall be 45 years (50 years for Scheduled Castes/candidates). (c) At least 5 years' service in Class IV would be essential. The maximum number of recruits by this method shall be limited to 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerk occurring in a year, unfilled vacancies shall not be carried over.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
4 Stenographer	1	General Central Service, Class III, Non-gazetted, Ministerial.	Rs 210-10-290-15-320-EB-15-425.	Selection	25 years	Essential 1 Matriculation or equivalent 2. Should possess a minimum speed of 40 words per minute in typewriting and 120 words per minute in shorthand in english. Desirable Experience of working for at least 2 years' as Stenographer in a Government Office or business concern of repute
5 Junior Stenographer.	2	General Central Service, Class III, Non-gazetted, Ministerial	Rs 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300	Not applicable	25 years	Essential 1. Matriculation or equivalent 2 Should possess minimum speed of 40 words per minute in typewriting and 100 words per minute in shorthand in English Desirable Experience of working for at least one year as Stenographer/Stenotypist in a Government office or business concern of repute
6 Staff Car Driver	1	General Central Service, Class III, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs 110-3-131-4-139	Not applicable	23-30 years	Essential 1 Working knowledge of English and Hindi 2 Professional skill in driving, knowledge of motor machanics, general smartness and possessing of a driving licence for car and heavy vehicles with at least 5 years' experience in driving Desirable Middle School standard pass from a recognised School

8	9	10	11	12	13
Age—No Qualification—yes	2 years	Promotion, failing which by transfer on deputation and, failing both, by direct recruitment	Promotion From Junior Stenographers with 3 years' service in the grade (Rs 130-300) and possessing the qualifications prescribed in columns 7 Transfer on deputation Suitable Stenographers in equivalent grade working in Central State Government Offices (Period of deputation ordinarily not exceeding three years)	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable
Not applicable	2 years	By selection through a test in Stenography and typewriting from amongst Lower Division Clerks with three years' service and who possess the qualifications prescribed in column 7, failing which, by transfer on deputation and, failing both, by direct recruitment.	Transfer on deputation Suitable Stenographers in equivalent grade from Central/State Government Offices (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By transfer, failing which by direct recruitment and failing both, by transfer on deputation	Transfer Through a test in driving etc from amongst regular Class IV employees of the Office possessing the qualifications as prescribed in column 7. Transfer on deputation Persons working in similar/equivalent posts in Central/State Government Offices. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
7. Daftry	2	General Central Service Class IV, Non-Gazetted.	Rs. 75-1-85-EB-2-95	Non-selection	Not applicable	Not applicable.
8. Peon	10	General Central Service, Class IV, Non-Gazetted.	Rs. 70-1-80-EB-1-85	Not applicable	25 years	Middle School standard pass from a recognised School.
9. Chowkidar	6	General Central Service, Class IV, Non-gazetted,	Rs. 70-1-80-EB-1-85	Not applicable	25 years	Desirable: Primary School standard pass from a recognised school
10. Tabulation Officer Senior Technical Assistant.	10	General Central Service, Class III, Non-Ministerial.	Rs. 350-20-450-EB-25-475.	Selection	25 years	Essential : Master's degree or equivalent Honours degree in Mathmatics/Statistics/Economics (with Statistics) of a recognised University. OR Degree of a recognised University with Mathematics/Statistics Economics (with Statistics) as a subject and two years' post graduate training in Statistics at a recognised Statistical Institute. Desirable : Three years' experience of tabulation work.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion	Promotion . From Peons with 3 years' regular service in the grade (Rs. 70-1-80-EB-1-85).	Class IV Departmental Promotion Committee.	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Age : No; Educational qualifications : To the extent indicated in column 11.	2 years	Promotion failing which, by transfer on deputation or direct recruitment.	Promotion : From Statistical Assistants/ Junior Investigators with 3 years' regular service in the grade (Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425) and possessing at least a degree of a recognised University. Transfer on deputation : Suitable officials of Central or State Government, possessing at least a degree of a recognised University and having 3 years' experience of statistical work in a supervisory capacity (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
11. Statistical Assistant	35	General Central Service, Class III, Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425	Selection	25 years	Essential : Master's degree or equivalent Honours degree in Statistics/ Mathematics/Economics (with Statistics) of a recognised university OR Degree of a recognised University with Mathematics/Statistics/ Economics (with Statistics) as a subject of graduation and 2 years' post-graduate training in Statistics at a recognised Statistical Institute.
12. Computor	40	General Central Service, Class III, Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 150-5-160-8-240-EB-8-280-10-300	Non-selection	25 years	Essential . Degree of a recognised University with Mathematics or Economics or Statistics as a subject of graduation. Desirable : Computor's Certificate from a recognised Institute OR At least one year's experience in computation of Statistical data and handling of calculating machines.
13. Assistant Compiler	129	General Central Service, Class III Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180	Not applicable	21 years	Essential : 1. Matriculation or equivalent 2. Proficiency in operating calculating machines. OR Experience in coding and punching in an office or firm having mechanical tabulation equipment.
14. Printing Inspector	1	General Central Service, Class III, Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425	Selection	25 years	Essential : 1. Degree of a recognised University or equivalent. 2. 3 years' experience in printing work including proof reading and technical marking in any Government Department/ Press/Organisation preferably in printing of tabular matter.
15. Junior Draftsman		General Central Service, Class-III, Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 110-3-131-4-155-4-175-5-180.	Not applicable	25 years	Essential : 1. Matriculation or equivalent. 2. Deploma in Art or Draftsmanship from a recognized Institution with some knowledge in drawing maps, charts and book covers
16. Proof Reader	4	General Central Service, Class III, Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 150-5-175-6-205-EB-7-240	Not applicable	25 years	Essential : 1. Matriculation or equivalent. 2. Two years, experience of proof correction in a Government Office/Press or private press of repute.
17. Draftsman	2	General Central Service, Class III, Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 150-5-175-6-205-EB-7-240	Not applicable	25 years	Essential : 1. Matriculation or equivalent. 2 Diploma in Commercial or Fine Art or Draftsmanship from a recognised Institution with some knowledge in drawing maps, charts and book covers. Desirable : At least one year's experience as Draftsman-cum-Artist.

8	9	10	11	12	13
No.	2 years	(i) Promotion-50%; (ii) Direct recruitment 50%, failing which, by transfer on deputation	Promotion : Computors with 3 years' regular service in the grade (Rs. 150-5-160-8-240-EB-8-280-10-300) Transfer on deputation : Suitable officials of Central/State Government possessing the requisite qualifications and experience prescribed for direct recruits (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable
No.	2 years	Promotion 50% Transfer 25%; Direct recruitment 25%.	Promotion : From Assistant Compilers with 3 years' regular service in the grade (Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180). Transfer : Upper Division Clerk who has put in three years' regular service in the grade (Rs 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300).	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
No.	2 years	By promotion, failing which, by transfer on deputation and, failing both, by direct recruitment	Promotion : From Proof Readers with 3 years' regular service in the grade (Rs. 150-5-175 6-205-EB-7-240). Transfer on deputation : Suitable Proof Readers in Central/State Government Presses (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By transfer on deputation, failing which, by direct recruitment	Transfer on deputation : From among suitable Proof readers of Central/State Government Presses. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment, failing which, by transfer on deputation.	Transfer on deputation : Suitable officials from Central/State Survey Offices. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Not applicable	Not applicable

[No. 4/32/73-RG (Ad. I)]

BADRI NATH, Deputy Registrar General, India, and ex-officio Dy. Secy.

नई दिल्ली 2 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 1205—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, आबू, गृह मंत्रालय में आशुलिपिक श्रेणी–1 के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1–संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (आशुलिपिक श्रेणी–1) भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2–उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3–भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि –उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है :

4–निरर्हताएं –वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5– शिथिल करने की शक्ति . जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6–व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
आशुलिपिक श्रेणी-1	3	साधारण वर्ग 3 अराजपत्रित, अनुसचिवीय	425-15-500-ढ० रो०-15-560-20-700 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होना	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	आशुलिपिक श्रेणी-II, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो।	वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

[संख्या 10/4/73–कार्मिक–1]

टी० के० रामकृष्णन्, निदेशक

New Delhi, the2nd November, 1974

G.S R.1205.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade I in the National Police Academy, Abu, Ministry of Home Affairs, namely:—

Short title and Commencement —(1) These rules may be called the National Police Academy (Stenographer Grade I) Recruitment Rules, 1974.

2. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(2) Number of the said post, its classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment age Limit, qualifications,etc —The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification —No person,—

(a) Who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-selection post	Age for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Stenographer Grade I.	3	General Central Service Class III Non-Gazetted, Ministerial.	Rs 425-15-500-EB-15-605-20-700	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the cases of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation transfer, grades from which promotion deputation transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By Promotion	Stenographers Grade II with a minimum of 5 years service in the grade	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable

[No. 10/4/73-Pers. I]

T. K. RAMAKRISHNAN
Director

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1974

सा०का०नि० 1206—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 443(अ) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा० नि० आ० 3216, तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिसूचना" कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि मैसर्स निस्को इवाय कम्पनी लिमिटेड, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षायें जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के प्रति लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई हैं, निम्नलिखित अन्य अपवादों तथा उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगी अर्थात् :—

यदि 30 सितम्बर, 1973 के वित्तीय वर्ष समाप्ति की बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा :—

(1) कम्पनी द्वारा अपने उद्भव देश में उस देश के कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये प्रमाणीकृत तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे (इसकी प्रत्येक अनुसंगी के अभिलेखों सहित) की प्रतियां;

(2) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन भारत में आदेशिका तामील की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत व्यक्ति तथा कम्पनी के दो निदेशकों द्वारा सम्यक: प्रमाणित इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कथित वर्ष में, कम्पनी के पास उसके स्वयं के लाभान्वित करने के लिये, भारत में कोई जायदाद अथवा परिसम्पत्तियां नहीं थीं तथा इसके लेखे में कोई देयतायें नहीं थी व इसने भारत में कोई व्यापार नहीं किया ।

(3) उपरोक्त मद (क) में वर्णित ढंग से प्रमाणित, कम्पनी की भारत में प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण-पत्र ।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से,

[फाइल सं० 14/6/74-सी० एल० 6]

बी प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)
(Company Law Board)

New Delhi, the 30th October, 1974

G.S.R. 1206.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E), dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Departmet of Company Law Administration) S.R.O. 3216, daed the 4th October, 1957 (hereinafter referred to as "the Notification"), the Company Law Board hereby directs that in the case of M/s. Nissho Iwai Company Limited (hereinafter referred to as "the Company") being a foreign company, the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the notification shall apply subject to the following further exceptions and modification namely :—

It shall, be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 if in respect of the financial year ended the 30th September, 1973, the company submits to the appropriate Registrar of Companies in India intriplicate :—

(i) A copy of the authenticated balance sheet and profit and loss account (including the documents relating to every subsidiary of the company) as submitted by it to the prescribed authority in the country of incorporation under the provisions of the law in that country.

(ii) A certificate signed by two directors of the company and by the person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of section 592 of the Act, to the effect that during the said year the company held no property or assets in India for its own benefit and did not have any liabilities in India on its own account and that it did not carry on any business in India; and

(iii) A statement of its receipts and expenditure in India duly certified by the persons mentioned in (ii) above.

By order of the Company Law Board.

[File No. 14/6/74-CL. VI]

B. PRASAD, Under Secy.

योजना मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1974

सा०का०नि० 1207—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग में संयुक्त निदेशक (मानव भूगोल) के पद/पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् .—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग, संयुक्त निदेशक (मानव भूगोल) भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 पद संख्या,वर्गीकरण और वेतनमान —उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनकी वर्गीकरण और उसका/उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं .—उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हताएं —वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त निदेशक (मानव भूगोल)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग-1 (राजपत्रित)	रु० 1100-50-1400	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागी प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्प-अवधि संविदा या प्रोन्नति भी है) (चयन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा)।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : (जिसके अन्तर्गत संविदा या प्रोन्नति भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधीन सेवा करने वाले समुचित अवस्थिति के अधिकारी जिनकी निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात् :— (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से अर्थशास्त्र या मानव भूगोल के विशेष विषय के साथ भूगोल में स्नातकोत्तर डिग्री। (2) क्षेत्रीय या प्रादेशिक विकास योजना के कार्य और प्रादेशिक रेखांकन की तकनीक के उप-योजन का 7 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में नियुक्ति आधार पर 5 वर्ष की सेवा वाले ऊपर उल्लिखित अर्हताएं और अनुभव वाले योजना आयोग के ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों का भी विचार किया जाएगा। उस दशा में जहां ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है तो यह प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। (स्थानांतरण या संविदा की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अनधिक)	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथा अपेक्षित।

[फा०सं०म०-12018/6/72-प्राण.-1.(ए)]
एम०पी०आर० प्रसाद, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 1st October, 1974

G.S.R. 1207.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Human Geography) in the Planning Commission, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Planning Commission Joint Director (Human Geography) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay : The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. : The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification : No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax : Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the post	Joint Director (Human Geography)
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	General Central Service Class I (*Gazetted*)
4.	Scale of pay	Rs. 1100-50-1400.
5.	Whether Selection Post or Non-Selection.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Not applicable
9.	Period of probation if any	Not applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By transfer on deputation (including short-term contract) or promotion the selection being made in consultation with the Union Public Service Commission.
11.	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	Transfer on deputation : (Including short-term contract or promotion). Officers of the appropriate grade from the Central Government or State Governments or recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings who possess the following qualications and experience, namely :— Essential : (i) Degree in Metallurgy or Chemical Engineering from a recognised University or its equivalent. (ii) 10 year's experience in planning, design, operation or research and development relating to non-ferrous metals industry. Desirable : (i) Experience in evaluating or analysing projects in the non-ferrous metals industry. (ii) Acquaintance with modern trends and advancements in the filed of non-ferrous metals industry. Joint Directors of the Planning Commission with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and possessing the qualifications and experience mentioned above will be considered. In case a Joint Director is selected for appointment to the post, it will be treated as having been filled by promotion. (Period of deputation or contract—ordinarily not exceeding 4 years).
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its consideration	Not applicable.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[File No. A. 12018/6/72-Adm. I (A)]

M. V. R. PRASAD, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 30th October, 1974

G.S.R. 1208.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller

and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, namely :—

(1) These Rules may be called the Fundamental (Fifth Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1973.

2. In the Fundamental Rules, for the third proviso to F. R. 22-C the following proviso shall be subsituted namely :—

"Provided also that where a Government servant is, immediately before his promotion or appointment to a higher post, drawing pay at the maximum of the time scale of the lower post, his initial pay in the time scale of the higher post shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing his pay in respect of the lower post by an amount equal to the last increment in the time scale of the lower post".

Explanatory Memorandum : The rule is amended retrospectively since the Pay Commission's recommendations contained in para 25 of Chapter 8 of their report (Vol I), was accepted and announced by the Govt. on 1-11-1973 vide Resolution No 70(34)/73-Imp. Cell dated 1-11-1973. The financial implication of giving this retrospective effect cannot be assessed as the amended rule will operate in respect of promotion upto Class I level occurring on or after 1-11-1973. The retrospection will not prejudicially affect the interest of any Government servant as the amendment is liberalising in nature.

[No. F. 1(9)-E. III(A)/74]

KIRPA SINGH, Dy. Secy.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

समाहर्ता का कार्यालय

आदेश

इलाहाबाद, 31 अक्तूबर, 1974

सा० का० नि० 1209—भारत के राजपत्र, भाग II के खण्ड 3(1) दिनांक 19-5-73 में प्रकाशित इस कार्यालय की सूचना (नोटिस) सं० VIII (10)-सी०शु०-अधिनिर्णय-2/73 के संदर्भ में जिसमें सम्बन्धित माल मालिक को एक मास के भीतर कारण बताने के लिए कहा गया था कि निम्नलिखित माल को क्यों न जब्त कर लिया जाय और उसमें (नोटिस में) उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत माल मालिक क्यों न दण्डित किया जाय :—

"7 बण्डल विदेशी दालचीनी वजन 351 किलोग्राम (कुल वजन) मूल्य 52,500/- जो नवम्बर, 1972 में मगरवारा स्टेशन के रेलवे गुड्स शेड में पकड़ी गई थी।"

2. अभी तक कोई व्यक्ति ऊपर उल्लिखित दालचीनी के चालान के दावेदार के रूप में उपस्थित नहीं हुआ, यद्यपि कि भारत के राजपत्र में उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित सूचना के प्रकाशित होने पर एक वर्ष और 5 मास से अधिक व्यतीत हो गया, और यह भी कि उपर्युक्त सूचना की प्रतिलिपियां इस कार्यालय और सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, लखनऊ के कार्यालय के सूचना पट पर भी चिपकाई गई थीं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि विवादास्पद दालचीनी का चालान ऊपर उल्लिखित सूचना में विनिर्दिष्ट कानून के प्रावधानों को उल्लंघन करके भारत में तस्करी द्वारा लाया गया है, और इसलिए यह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 के अन्तर्गत जब्त करने योग्य है। तदनुसार विवादग्रस्त माल के किसी दावेदार के अभाव में, मैं निम्नहस्ताक्षरकर्ता, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 के अन्तर्गत उक्त दालचीनी के चालान वजन 351 किलोग्राम (कुल वजन) की पूर्ण जब्ती का आदेश देता हूं।

[आर० सी० नं० 8(10)शुल्क एडज-2/73/34028]

एच० बी० दास, समाहर्ता

OFFICE OF THE CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

ORDER

Allahabad, the 31st October, 1974

G.S.R. 1209.—Reference this office notice No. VIII(10) Cus-Adj-2/73 published in Section 3(i) of part II of the Gazette of India dated 19-5-1973 requiring the owner concerned to show cause within one month as to why the under mentioned goods should not be confiscated and as to why the owner should not be penalised under provisions of law referred to therein :—

"7 bundles of Foreign 'Cinnamon' (Dalchini weighing 351 Kgs. (G.W.) valued at Rs. 52,500/- seized during November 1972 at Railway Goods Shed Magarwara Station."

2. No one has so far come forward to claim the above referred to consignment of Cinnamon (Dalchini) though a period of over one year and five months, has passed since the notice referred to in para 1 above was published in the Gazette of India, and that copies of the notice were also ordered to be pasted on the notice board of this office and that of the office of the Asstt. Collector Central Excise Lucknow. It, therefore, appears that the consignment of Cinnamon (Dalchini) in question had been smuggled into India in contravention of the provisions of law as referred to in the above referred to notice, and as such the same is liable to confiscation under Section 111 of the Customs Act, 1962. The undersigned accordingly in absence of any claimant of the goods under reference, order the absolute confiscation of the said consignment of Cinnamon (Dalchini) weighing 351 Kgs. (G.W.) under Section 111 of the Customs Act, 1962.

[R. C. No. VIII(10) Cus-Adj-2/23/34028]

H. B. DASS, Collector

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1974

सा०का०नि० 1210.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (वर्ग 3) भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (वर्ग 3) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (वर्ग 3) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में, परिरक्षण सहायक पद से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, स्तम्भ 10 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"नमूना संग्राहक (85—110 रु०) जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष सेवा की हो, जिसके न होने पर क्षेत्रिक (फील्डमैन) (80—110 रु०), जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।"

[सं० फा० 2-59/74-सर्वे-3]

महताब सिंह, उप सचिव

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 28th October, 1974

G.S.R. 1210.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Botanical Survey of India (Class III) Recruitment Rules 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Botanical Survey of India (Class III) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Botanical Survey of India (Class III) Recruitment Rules, 1964, in the entries relating to the post of preservation Assistant, in Column 10, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely :—

"Specimen Collector (Rs. 85—110) with four years service in the grade failing which Fieldman (Rs. 80—110) with five years' service in the grade".

[No F. 2-59/74-Sur. 3]

MAHTAB SINGH, Dy. Secy.

परमाणु ऊर्जा विभाग

आदेश

बम्बई, 11 अक्तूबर, 1974

सा०का०नि० 1211.—परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 (सन् 1962 का 33वां अधिनियम) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस आदेश के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) मे विनिर्दिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध मे उस क्षेत्र के एक वर्जित क्षेत्र होने के कारण उन सभी अधिकारियो द्वारा अथवा उनमें से किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिनके नाम उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में दिये गए है :—

अनुसूची

वर्जित क्षेत्र का नाम	अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)
इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मौला अली, हैदराबाद-40.	1 संयुक्त सचिव भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग। 2 उप सचिव भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग। 3. अवर सचिव भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग।

[सं० 7/2(4)/74-(पी)/1874]

दुर्गा चरण चोपड़ा, अवर सचिव।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

ORDER

Bombay, the 11th October, 1974

G.S.R. 1211.—In exercise of powers conferred by section 27 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 19 shall, in respect of the area specified in column (1) of the Schedule annexed hereto, being a prohibited area, be exercisable also by all or any of the officers mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule :

SCHEDULE

Name of the prohibited area	Designation of the officer
(1)	(2)
Electronics Corporation of India Limited, Moula Ali, Hyderabad-40.	1. Joint Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy. 2. Deputy Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy. 3. Under Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy.

[No. 7/2(4)/74-(P)./1874]

D. C. CHOPRA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1974

सा०का०नि० 1212.—केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित वस्तुओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए "अधिसूचित वस्तुएं" घोषित करती है, अर्थात् :—

(1) औषधियां और भेषज ।

(2) अजैव भारी रसायन ।

(3) जैव भारी रसायन ।

(4) परिष्कृत रसायन, जिनके अन्तर्गत फोटोग्राफी सम्बन्धी रसायन भी हैं ।

(5) संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक ।

(6) रंगलेप, वार्निशें और इनमेलम ।

(7) संश्लिष्ट रबड़ ।

(8) हाथ से बने तन्तु ।

(9) कोक भट्टी उपोत्पा ।

(10) कोलतार आसवन उत्पाद ।

(11) अतिरिक्त वस्त्र सहायक ।

(12) आमापन सामग्री, जिसके अन्तर्गत स्टार्च भी है ।

(13) प्रकीर्ण रसायन ।

(14) साबुन ।

(15) टायलट निर्मितियां ।

(16) लोहमिश्र धातु ।

(17) लोह और इस्पात पाइप ।

(18) लोह और इस्पात के अन्य उत्पाद ।

(19) अलौह-धातु और मिश्र-धातु ।

(20) प्लाईवुड ।

(21) वियामलाई ।

(22) प्रकीर्ण (फर्नीचर संघटक, फिरकियां, शटिले और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं) ।

(23) विद्युत मोटरे ।

(24) विद्युत पखे ।

(25) एक्सरे उपस्कर ।

(26) घरेलू साधित्र, जैसे विद्युत इस्तरियां, हीटर और इसी प्रकार की अन्य वस्तुए ।

(27) शुष्क सेल ।

(28) प्लास्टिक के सांचे मे गढ़ा हुआ माल ।

(29) हस्त औजार, छोटे औजार और इसी प्रकार के अन्य औजार।

(30) वैज्ञानिक उपकरण ।

(31) ऐस्बेस्टास सीमेन्ट ।

(32) कोयला, लिग्नाइट, कोक और उनसे व्युत्पन्न ।

(33) टायर और ट्यूब ।

(34) शल्यचिकित्सीय और चिकित्सीय उत्पाद ।

(35) अन्य रबड़ माल ।

(36) कर्षण चक्के और अपघर्षिया ।

(37) बाइसाइकिल (उनके संघटक भाग और उपसाधन) ।

(38) मशीन के औजार ।

(39) बिजली द्वारा चालित पम्प-प्रत्यागामी उप-केन्द्र और इसी प्रकार के अन्य पम्प ।

(40) सरेस और जिलेटिन ।

(41) सफाई का सामान ।

(42) टाइलें ।

(43) चीनी मिट्टी का सामान और मिट्टी के बर्तन ।

(44) उच्चतापसह ।

(45) अग्निसह ईंटें ।

(46) वस्त्र मशीनरी, जिसके अन्तर्गत वस्त्र-उपसाधन भी हैं ।

(47) पटसन मशीनरी ।

(48) रेयान मशीनरी ।

(49) चीनी मशीनरी ।

(50) चाय मशीनरी ।

(51) खनन मशीनरी ।

(52) धातुकर्मीय मशीनरी ।

(53) सीमेन्ट मशीनरी ।

(54) रसायन मशीनरी ।

(55) भेषजीय मशीनरी ।

(56) कागज मशीनरी ।

[फा० सं० 26-29/70-एस० जी०]

ए० के० गर्ग, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)

New Delhi, the 31st October, 1974

G.S.R. 1212.—In exercise of the powers conferred by clause-(e) of section 2 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby declares the following commodities to be "notified commodities" for the purposes of the said Act, namely :—

(1) Drugs and Pharmaceuticals.

(2) Inorganic heavy chemicals.

(3) Organic heavy chemicals.

(4) Fine chemicals including photographic chemicals.

(5) Synthetic resins and plastics.

(6) Paints, varnishes and enamels.

(7) Synthetic rubbers.

(8) Man-made fibres.

(9) Coke over by products.

(10) Coal tar distillation products.

(11) Textile auxiliaries.

(12) Sizing materials including starch.

(13) Miscellaneous chemicals.

(14) Soaps.

(15) Toilet preparations.

(16) Ferro-alloys.

(17) Iron and steel pipes.

(18) Other products of iron and steel.

(19) Non-ferrous metals and alloys.

(20) Plywood.

(21) Matches.

(22) Miscellaneous (furniture components, bobbins, shuttles and the like).

(23) Electrical motors.

(24) Electrical fans.

(25) X-ray equipment.

(26) House-hold appliances such as electric irons, heaters and the like.

(27) Dry cells.

(28) Plastic moulded goods.

(29) Hand tools, small tools and the like.

(30) Scientific instruments.

(31) Asbestos cement.

(32) Coal, lignite, coke and their derivatives.

(33) Tyres and tubes.

(34) Surgical and medical products.

(35) Other rubber goods.

(36) Grinding wheels and abrasives.

(37) Bicycles (Their component parts and accessories).

(38) Machine tools.

(39) Power driven pumps—reciprocating centifugal and the like.

(40) Glue and gelatin.

(41) Sanitary wares.

(42) Tiles.

(43) China ware and pottery.

(44) Refractories.

(45) Fire bricks.

(46) Textile machinery including textile accessories.

(47) Jute machinery.

(48) Rayon machinery.

(49) Sugar machinery.

(50) Tea machinery.

(51) Mining machinery.

(52) Metallurgical machinery.

(53) Cement machinery.

(54) Chemical machinery.

(55) Pharmaceuticals machinery.

(56) Paper machinery.

[F. No. 26-29/70-SG]

A. K. GARDE, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 1213.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) (संचलन निरीक्षक) भर्ती नियम, 1963 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) (संचलन निरीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 है।

2. खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) (संचलन निरीक्षक), भर्ती नियम, 1963 में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।"

[सं० 39(11)/61-ई० 2]

New Delhi, the 2nd November, 1974

G.S.R. 1213.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) (Movement Inspectors) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. These Rules may be called the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) (Movement Inspectors) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

2. In the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) (Movement Inspectors), Recruitment Rules, 1963, for rule 5, the following rules shall be substituted, namely :—

"5. Disqualification :—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard."

[No. 39(11)/61-E. II]

सा० का० नि० 1214.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1965 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1. (1) इन नियमों का नाम खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) वर्ग 3 पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1965 में—

(1) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"5. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।"

(2) अनुसूची में, मद 1 के सामने—

(क) स्तम्भ 1 में, (ए० पी० ओ० पक्ष) कोष्ठकों, अक्षरों और शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) स्तम्भ 7 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड की विज्ञान में मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा,

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा और साथ ही प्रयोगशाला कार्य में 2 वर्ष का अनुभव"

[सं० 39-20(4)/63-ई० 2]

आर० आर० भाटिया, अवर सचिव

G.S.R. 1214.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rule to amend the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), Class III posts Recruitment Rules, 1965.

1. (1) These rules may be called the Ministry of Food & Agriculture (Department of Food) Class III posts Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Food & Agriculture (Department of Food) Class III posts Recruitment Rules, 1965 :—

(i) for rule 5, following rules shall be substituted namely :—

"5. Disqualification :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard."

(ii) in the Schedule, against item 1—

(a) in column 1, the brackets, letters and word '(A.P.O. side)' shall be omitted ;

(b) in column 7, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Matriculation in Science or equivalent Examination of a recognised University or Board.

OR

Matriculation or equivalent examination of a recognised University or Board with 2 years experience in Laboratory Work"

[No. 39-20(4)/63-E. II]

R. R BHATIA, Under Secy.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1974

सा०का०नि० 1215—संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह शिक्षा विभाग (श्रेणी-II राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1966 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह शिक्षा विभाग (श्रेणी-II) राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 कहा जाएगा।

(2) ये नियम, सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह शिक्षा विभाग (श्रेणी-II राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची में, 'प्रिंसिपल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बहुप्रयोजन बाल स्कूल, पोर्ट ब्लेयर,' 'प्रिंसिपल राजकीय उच्चतर माध्यमिक (बाल तथा बालिका) कार निकोबार' प्रिंसिपल राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल (बालिकाएं), पोर्ट ब्लेयर' के पदों तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाए।

[फा० 7-2/69-यू टी आई]

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 1st November, 1974

G.S.R. 1215.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Andaman and Nicobar Islands Education Department (Class II Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1966, namely :—

1. (1) These rules may be called the Andaman and Nicobar Islands Education Department (Class II Gazetted posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Andaman and Nicobar Islands Education Department (Class II Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1966, the posts of 'Principal, Government Higher Secondary Multipurpose School for Boys, Port Blair', 'Principal, Government Higher Secondary School (Boys & Girls), Car Nicobar', 'Principal, Government Higher Secondary School (Girls), Port Blair' and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. 7-2/69-UTI]

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 1216O—संविधान के अनुच्छेद 309, के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के शिक्षा विभाग मे कुछ पदों के लिए भर्ती प्रणाली का विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, शिक्षा विभाग (प्रिंसिपल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा प्रिंसिपल, अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल) भर्ती नियम, 1974 कहा जाए।

(2) ये नियम, सरकारी राजपत्र मे इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान . उक्त पदो की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट होंगे।

3 भर्ती की प्रणाली आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि : उक्त पदो के लिए भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा, योग्यताए तथा उनसे सम्बन्धित अन्य विषय उपरोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक मे निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4 योग्यता : कोई भी ऐसा व्यक्ति :—

(क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह का अनुबन्ध अथवा विवाह करता है जिसकी पत्नी अथवा पति जीवित हों; अथवा

(ख) जो पति/पत्नी रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह का अनुबन्ध अथवा विवाह करता है उपरोक्त किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञय है तथा ऐसा करने के कुछ अन्य आधार भी हैं, किसी को इस नियम से छूट दे सकती है।

5 छूट देने का अधिकार जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, तो वह लिखित रूप में कारणों को बताते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों को किसी श्रेणी अथवा वर्ग के बारे में आदेश द्वारा किसी भी उपबन्ध में छूट दे सकती है।

6 शर्तें इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों को दी जाने वाली अपेक्षित रियायतो तथा आरक्षणों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुबन्ध

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों के प्रिंसिपल के पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है या गैर-प्रवरण	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रिंसिपल राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल और प्रिंसिपल अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल	12	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-1 राजपत्रित	700-40-980-द०-रो०-40-1100 रु०	प्रवरण पद	45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में मास्टर्स डिग्री अथवा उसके समकक्ष। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अध्यापक अथवा शिक्षा में डिग्री अथवा उसके समकक्ष। 3. किसी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल अथवा इण्टर-मीडिएट कालेज का प्रशासनिक प्रभारी का 5 वर्ष का अनुभव (दो वर्षीय अध्यापन अनुभव सहित)। अन्य प्रकार से योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। वांछनीय : 1. डाक्ट्रेट की डिग्री। 2. हिन्दी तथा किसी क्षेत्रीय भाषा, अर्थात् बंगला, तमिल, मलयालम, तेलगु आदि का ज्ञान।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति पाने वालों के मामलों में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/तबादले द्वारा भर्ती की किस प्रणाली से और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे गए पदों की प्रतिशतता।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या तबादले द्वारा भर्ती करने की स्थिति में ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या तबादला हो।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां जिनके अन्तर्गत भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	50% पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर तबादले द्वारा और दोनों प्रकार से असमर्थ रहने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : 1. सीनियर अध्यापक 2. प्रधानाध्यापक, अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल, अपने अपने ग्रेडों में दस वर्ष की सेवा सहित। प्रतिनियुक्ति पर तबादला : केन्द्रीय सरकार अथवा (संघ शासित क्षेत्र सहित) राज्य सरकार के अधीन समरूप पदों पर कार्य करने वाले उपयुक्त अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी)।	श्रेणी-1 विभागीय पदोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग विनियम, 1958 के अधीन परामर्श से छूट जैसा अपेक्षित हो।

टिप्पणी : केवल लड़कियों वाले उच्चतर माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल पद के लिए महिलाएं ही पात्र होंगी।

[सं० 7-2/69-यू०टी० 1]

श्रीमती शारदा राव, उप शिक्षा सलाहकार

G.S.R. 1216.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Contitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to certain posts in the Education Department of the Andaman and Nicobar Islands, namely :—

1. (1) Short title and commencement: These rules may be called the Andaman and Nicobar Islands Education Department (Principal, Government Higher Secondary School and Principal, Teachers Training School) recruitment rules, 1974

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay : The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc. The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule afore said.

4. Disqualification : No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHDEULE

Recruitment rules of Principal of Higher Secondary Schools/Teachers training school Andaman and Nicobar administration.

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Principal Government Higher Secondary School and Principal Teacher's Training School	12	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 700-40-980-EB-40-1100.	Selection	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants).	Essential : (i) Second Class Master's degree of a recognised University or equivalent. (ii) Degree in Teaching or Education from a recognised University or equivalent. (iii) 5 years experience in administrative charge of a recognised Higher Secondary School or Intermediate College (including two years teaching experience. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission). Desirable : (i) A Doctorate Degree. (ii) Knowledge of Hindi and/any regional languages, that is to say, Bengali, Tamil, Malayam, Telugu, etc.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment 50%. By direct recruitment 50%.	Promotion : (i) Senior Teachers. (ii) Headmaster, Teacher's Training School. with 10 years service in the respective grade. Transfer on deputation : Suitable officers holding analogous posts under the Central Government or a State (including Union Territories). (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Class I Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

Note : Ladies will be eligible for the post of Principal of a Higher Secondary School exclusively meant for girls.

[No. 7-2/69 UTI]

Smt. S. Rao, Deputy Educational Adviser

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1974

सा० का० नि० 1217:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाज कल्याण विभाग में कुछ श्रेणी 1, श्रेणी 2, और श्रेणी 3 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:–(1) इन नियमों का नाम समाज कल्याण विभाग (श्रेणी 1, श्रेणी 2 तथा श्रेणी 3 पद) भर्ती नियम, 1974 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. लागू होना :— ये नियम संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, इत्यादि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं :–वह व्यक्ति–

(क) जिस ने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वकीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :– जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां उसके लिए जो कारण है, उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7 व्यावृत्ति :– इन नियमों की कोई भी बात उन आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I राजपत्रित	1100-50-1600 रु०	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	अनिवार्य : (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान में मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष। (2) समाज कल्याण के क्षेत्र में शोध करने का तथा समाज कार्यक्रमों के मूल्यांकन या विकास करने का 5 वर्ष का अनुभव। (3) सांख्यिकी पद्धति तथा शोध प्रणाली विज्ञान की जानकारी। (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।) वांछनीय :– (1) सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान में डाक्टोरेट डिग्री या इसके समकक्ष। (2) समाज कल्याण का अनुभव। (3) विदेश तथा भारत में सामाजिक विकास की जानकारी।

1	2	3	4	5	6	7
2 अनुसन्धान अधिकारी	5	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I राजपत्रित	700-40-900-द०रो० 40-1100-50-1300 रुपये।	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	अनिवार्य :— (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान या सामाजिक मानव विज्ञान में मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष। (2) समाज कल्याण क्षेत्र में शोध करने का तथा/या सामाजिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन का 3 वर्ष का अनुभव। (योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।) वांछनीय :— (1) सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान में डाक्टोरेट डिग्री या इसके समकक्ष। (2) समाज कल्याण आयोजन तथा योजना क्रियान्वित का अनुभव।
3 वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक	4	केन्द्रीय सेवा श्रेणी-II अराजपत्रित गैर अनुसचीवीय	550-25-750-द०रो०-30-90 रुपये	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	अनिवार्य : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान या समाज मानव-विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष। (सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है)। वांछनीय : सर्वेक्षणों में भाग लेने का अनुभव या रिपोर्टों को तैयार तथा आंकड़ों के विश्लेषण सहित समाज कल्याण के क्षेत्र में शोध का अनुभव।
4 संगणक	1	सामान्य केन्द्रीय श्रेणी सेवा III अराजपत्रित गैर अनुसचीवीय।	260-6-290-द०रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रुपये।	लागू नहीं	25 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य : सांख्यिकी या गणित में ग्रेजुएट। वांछनीय : (1) सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण का अनुभव। (2) समाज कल्याण योजनाओं की जानकारी।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में भी लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति सीधी होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/स्थानांतरण किया जायेगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	50% पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ 50% प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण। द्वारा या ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा। स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश पदों पर लगे अधिकारी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश पदों पर काम करने वाले अधिकारी या 400—950 रुपये के वेतनमान में पदों पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा या इसके समकक्ष और स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित योग्यताओं वाले अधिकारी। (साधारणतः प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	श्रेणी I विभागीय समिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट विनियम 1958) के अधीन अपेक्षित है।
नहीं	2 वर्ष	33⅓% पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा। 66⅔% प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या स्थानांतरण द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती।	पदोन्नति : नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक के ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा। स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार में सदृश पदों पर काम करने वाले अधिकारी या 350—900 के वेतनमान में पदों पर न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा तथा कालम 7 के अधीन 325—575 रुपये के वेतनमान में पदों पर 5 वर्ष की सेवा तथा कालम 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताओं वाले अधिकारी (साधारणतः प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	श्रेणी I विभागीय पदोन्नति समिति।	जैसे संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श सेवा छूट विनियम, 1958) के अधीन अपेक्षित है।
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट विनियम, 1958) के अधीन अपेक्षित है।
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ऐसा न होने से प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा।	स्तम्भ—7 में निर्दिष्ट अर्हताओं के के साथ समान, समकक्ष या सदृश पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण द्वारा। स्तम्भ—7 में उल्लिखित अर्हताओं वाले किसी भी श्रेणी III पद पर लगे पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा।	लागू नहीं	लागू नहीं

[संख्या ए० 12/6/73-स्थापना]

सुरेश कपूर, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 14th October, 1974

G. S. R. 1217.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class I, Class II and Class III posts in the Deptt. of Social Welfare, namely :—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Department of Social Welfare (Class I, Class II and Class III posts) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification and scale of pay :—The number of posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications:—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts or persons: provided that, so much of this rule as relates to the consultation with the Union Public Service Commission, shall not apply to Class III posts.

7. Saving :—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Senior Research Officer	2	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 1100-50-1600	Selection	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants)	Essential : (i) Master's Degree in Social Work, Economics, Sociology or Social Anthropology from a recognised University or equivalent. (ii) 5 years experience of conducting research in the field of social welfare and development or evaluation of social programmes. (iii) Knowledge of statistical methods and research methodology. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.) Desirable : (i) Doctorate Degree in Social Work or Sociology or equivalent. (ii) Experience in Social Welfare planning and plan implementation. (iii) Knowledge of social development in India and abroad.

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruit will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If the Departmental Promotion Committee exists what is its composition	The circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years	50% by Pomotion, failing which by transfer on deputation. 50% by transfer on deputation or transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion: Research Officers with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer: Officers holding analogous posts under the Central Government. Transfer on deputation : Officers under the Central Government holding analogous posts or with at least 5 years service in posts in the scale of Rs. 400-950 or equivalent and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column 7. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years.)	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission. (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7
2. Research Officer.	5	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	Selection.	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants).	Essential : (i) Master's degree in Social Work, Economics, Sociology/or Social Anthropology from a recognised University or equivalent. (ii) 8 years experience of conducting research in the field of Social Welfare and or evaluation of social programmes. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.) Desirable : (i) Doctorate Degree in Social Work or Sociology or equivalent. (ii) Experience in Social Welfare planning and plan implementation.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	33-1/3% by promotion, failing, which by transfer on deputation. 66-2/3% by transfer on deputation or transfer falling, which by direct recruitment.	Promotion: Senior Research Investigators with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer : Officers holding analogous posts under the Central Government. Transfer on Deputation : Officers under the Central Government holding analogous posts or with at least 3 years service in posts in the scale of Rs. 350-900 or 5 years service in posts in the scale of Rs. 325-575 and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958.

1	2	3	4	5	6	7
3.	Senior Research Investigator.	4	General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants)	Essential : At least Second class Master's degree in Social Work, Economics, Sociology or Social Anthropology from a recognised University or equivalent. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.) Desirable : Experience of participation in surveys or research in the field of Social Welfare, including analysis of data and preparation of reports.
4.	Computer	One	General Central Service Class III Non-gazetted Non-Ministerial.	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	-do-	Not exceeding 25 years.	Essential : Graduate with statistics or Mathematics. Desirable : (i) Experience in analysing statistical data. (ii) Familiarity with Social Welfare schemes.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not Applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation, Regulations, 1958).
Not applicable	2 years	Direct recruitment failing which by deputation or transfer.	Transfer of officers holding similar, equivalent or analogous posts, having qualifications mentioned in column 7, Deputation of officials holding any class III post and having the qualifications mentioned in column 7. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	Not applicable

[No. A- 12/6/73-Estt.]

S. KAPOOR, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1974

(वाणिज्य पोत परिवहन)

सा० का० नि० 1218.—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 404 और धारा 458 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग 1

प्रारंभिक

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (नष्टि और उद्धारण) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "अधिकारिता" से नष्टि के रिसीवर के सम्बन्ध में वे स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत हैं जो अधिनियम की धारा 391 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

(ग) "जल परिवहन विभाग, जिला" से क्रमशः प्रमुख अधिकारियों की अधिकारिता के वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो इन नियमों की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हों।

(घ) "भारत के सागर तटों के निकट" से भारत में या भारत के क्षेत्रीय जल के अन्दर कोई पत्तन या स्थान अभिप्रेत है।

(ङ) "स्वामी" में ऐसे जलयान का मास्टर भी सम्मिलित है जो नष्ट हुआ हो।

(च) "प्रमुख अधिकारी" से ऐसा अधिकरण अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के आधार पर नियुक्त किया गया हो।

(छ) "पत्तन" से ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) में परिभाषित है।

(ज) "रिसीवर" से नष्ट पोतों का ऐसा रिसीवर अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 391 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया हो।

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(ट) "मूल्यांकक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी जलयान या ऐसे जलयान के किसी उपस्कर या स्थोरा की कोई अन्य वस्तु या ऐसे जलयान की सामग्री के मूल्य निर्धारण के लिए इन नियमों के अधीन रिसीवर द्वारा नियुक्त किया गया हो।

(2) जो शब्द और पद इन नियमों में प्रयुक्त किए गए है किन्तु उप-नियम (1) में परिभाषित नही किए गए हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें इस अधिनियम मे समनुदेशित किए गए हैं।

भाग 2

नष्टि

3. नष्टि के बारे में आसूचना का दिया जाना—जहां किसी रिसीवर को किसी जलयान के बारे में ऐसी आसूचना प्राप्त होती है कि वह नष्ट हो गया है या उत्कूलित हो गया है या सकट में है, वहां वह ऐसी आसूचना प्राप्त करने पर तुरन्त प्रमुख अधिकारी को ससूचित करेगा।

4. किसी नष्टि के मिलने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया—(1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी रिसीवर की अधिकारिता की सीमाओं के अन्दर किसी नष्टि को पाता है और उसका कब्जा लेता है या ऐसे नष्टि को ऐसी सीमाओं के अन्दर लाता है, यथासाध्यशीघ्र लिखित रूप में रिसीवर को ऐसे प्रारूप में रिपोर्ट करेगा जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

(2) रिसीवर ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट की एक प्रति प्रमुख अधिकारी के पास भेजेगा।

5. **निमग्न**

5. *निमग्न या परित्यक्त नष्टि का कब्जा लेने के लिए प्रक्रिया*: (1) जहां किसी रिसीवर को यह आसूचना मिलती है कि कोई नष्टि जो कि जलयान है, भारत के समुद्रतट के निकट निमग्न या उत्कूलित हो गया है और उसके स्वामी द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है, वहा वह यथासाध्यशीघ्र उस स्थान का प्रस्थान करेगा जहां ऐसा जलयान पड़ा है, ऐसे जलयान पर सीसे का तार (लीड लाइन) डालेगा और यह घोषणा करेगा कि अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसने नष्टि का कब्जा ले लिया है।

(2) जहां किसी रिसीवर को यह आसूचना मिलती है कि कोई नष्टि जो कि जलयान नही है, भारत के समुद्रतट के निकट पाया गया है, तो वह यथासाध्यशीघ्र उस स्थान के लिए प्रस्थान करेगा जहां ऐसा नष्टि पड़ी हुई है और उसका वास्तविक रूप मे कब्जा लेगा। जहा नष्टि का वास्तविक कब्जा लेना साध्य नही है, वहां वह यह घोषणा करेगा कि उसने अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियो का प्रयोग करते हुए नष्टि का कब्जा ले लिया है।

6. नष्टि का कब्जा लेने पर की जाने वाली कार्यवाही: (1) किसी नष्टि पोत का कब्जा लेते समय रिसीवर—

(क) प्रमुख अधिकारी को ससूचित करते हुए, नष्ट जलयान के बारे में लिखित रूप मे विशिष्टियां देते हुए उस देश के जिसमे जलयान रजिस्ट्रीकृत है, निकटतम कौंसलीय अधिकारी को ससूचना उस दशा म भजगा जब कि नष्टि में भारतीय जलयान से भिन्न जलयान है;

(ख) प्रमुख अधिकारी को संसूचित करते हुए, जलयान के स्वामियो को लिखित ससूचना उस दशा मे भेजेगा जब कि नष्टि में भारतीय जलयान है;

(ग) प्रमुख अधिकारी को संसूचित करते हुए ऐसे देश के जिसमे जलयान रजिस्ट्रीकृत है, निकटतम कौसलीय अधिकारी को जलयान के ऐसे पुर्जों, वस्तुओं और उपस्करों के बारे में विशिष्टियां देते हुए लिखित रूप में उस दशा मे संसूचना भेजगा जब कि नष्टि मे भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान के पुर्जे, वस्तुएं या उपस्कर है;

(घ) प्रमुख अधिकारी को संसूचित करते हुए जलयान के स्वामियों को उसके पुर्जों, वस्तुओं या उपस्करों के बारे में विशिष्टियां देते हुए उस दशा में लिखित संसूचना भजगा जब कि नष्टि में किसी भारतीय जलयान के पूर्जे, वस्तुए या उपस्कर है;

(ङ) निकटतम सीमा-शुल्क अधिकारी तथा प्रमुख अधिकारी को संसूचित करते हुए, उस देश के जिसमें पोत रजिस्ट्रीकृत हो, निकटतम कौसलीय अधिकारी को, ऐसे स्थोरा की विशिष्टियां देते हुए लिखित संसूचना उस दशा में भेजेगा जब कि नष्टि मे ऐसा स्थोरा है जो भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान से फेंका गया हो;

(च) निकटतम सीमा-शुल्क अधिकारी तथा प्रमुख अधिकारी को संसूचित करते हुए, ऐसे स्थोरा की विशिष्टियां देते हुए उस दशा में जलयान के स्वामी को लिखित संसूचना भेजेगा जब कि नष्टि में ऐसा स्थोरा है जो भारत के तटीय व्यापार से भिन्न व्यापार मे लगे हुए किसी भारतीय जलयान से फेका गया हो,

(छ) प्रमुख अधिकारी को संसूचित करते हुए ऐसे स्थोरा के बारे में जलयान के स्वामी को लिखित रूप में पूरी विशिष्टियां बतलाते हुए उस दशा मे संसूचना भेजेगा जब कि नष्टि मे ऐसा स्थोरा है जो ऐसे भारतीय पोत पर से फेंका गया है जो भारत के तटीय व्यापार मे लगा हुआ है; और

(ज) प्रमुख अधिकारी को संसूचित करते हुए, यथास्थिति, ऐसे जलयान या उसके स्थोरा की वस्तुए या उपस्कर के बारे मे पूरी विशिष्टियां देते हुए सशक्त विभाग के समुचित प्राधिकारियो को लिखित संसूचना उस दशा में भेजेगा जब कि नष्टि म ऐसा जलयान है जो किसी सरकारी विभाग के स्वामित्वाधीन और उस द्वारा प्रचालित किया जाता है या ऐसे जलयान के स्थोरा की कोई वस्तु या उपस्कर है:

परन्तु जहां खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) या (छ) में निर्दिष्ट किसी मामले में, जलयान की, जिससे नष्टि हुई है, पहचान नही की गई है, तो रिसीवर प्रमुख अधिकारी को ससूचना भेजेगा।

(2) जहां कोई नष्टि, जो कि जलयान है, निमग्न या उत्कूलित है, भारत मे किसी पत्तन या स्थान पर पहुंचने के लिए भली भांति नौ परिवहन मे बाधा या खतरा कारित करता है या कारित करने की सभावना है वहा रिसीवर नौ परिवहन संबंधी ऐसी बाधा या खतरे के बारे मे तृतीय अनुसूची मे दिए गए प्ररूप मे प्रमुख अधिकारी को एक रिपोर्ट भेजेगा। ऐसी रिपोर्ट में यथासाध्य, बाधा का स्वरूप और उसकी प्रकृति तथा समुचित जल सर्वेक्षण संबंधी चार्ट में उसकी अवस्थिति दी जाएगी।

7. रिसीवर द्वारा अधिसूचना का प्रकाशन. (1) अधिनियम की धारा 397 के अधीन रिसीवर द्वारा प्रकाशित होने वाली प्रत्येक अधिसूचना, चतुर्थ अनुसूची में दिए गए प्ररूप में होगी। ऐसी प्रत्येक अधिसूचना, नष्टि के कब्जे में लेने के 48 घंटों के भीतर जारी की जाएगी और उसे रिसीवर के कार्यालय के सूचनापट पर कम से कम 11 दिन तक प्रदर्शित किया जायेगा। ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति प्रमुख अधिकारी को भेजी जाएगी।

(2) जहां नष्टि पोत का आकलित मूल्य 500 रु० से अधिक हो, वहां रिसीवर, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना के अतिरिक्त कम से कम दो समाचारपत्रों के, जिनका संबद्ध जल परिवहन विभाग जिला में व्यापक परिचालन हो, तीन लगातार अंकों में नष्टि के बारे में विज्ञापन प्रकाशित करेगा।

8. बीमाकर्ता को रिपोर्ट : जहां नष्टि में कोई जलयान या किसी जलयान की कोई वस्तु या उपस्कर है, वहां रिसीवर अपने द्वारा अधिनियम की धारा 397 के अधीन की गई प्रत्येक अधिसूचना तथा विज्ञापन की, यदि वह नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन जारी की गई हो, एक प्रति समुचित बीमाकर्ता को, यदि ज्ञात हो, भेजेगा।

9. नष्टि के बारे में दावे : नष्टि या उसके विक्रय आगमों के बारे में सभी दावे पंचम अनुसूची के भाग 1 में रिसीवर को किए जाएंगे।

10. शंकास्पद मामलों में दावे : जहां यथास्थिति, किसी नष्टि के परिदान या उसके विक्रय आगमों के बारे में किए गए किसी दावे की बाबत दावेदार के हक के संबंध में रिसीवर के सामने कोई शंका उत्पन्न होती है, वहां, वह ऐसे दावेदार के पंचम अनुसूची के भाग 2 को भरने की अपेक्षा करेगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह दावे के हक के संबंध में ऐसा अन्य साक्ष्य पेश करे जो वह दावा ग्रहण करने के लिए पर्याप्त समझे। ऐसे किसी भी मामले में रिसीवर, जोत रजिस्ट्रार जहाज से माल भेजने या मांगने वाले, परेषिती और किसी अन्य व्यक्ति से जांच कर सकेगा जिसे वह दावे दार के हक के संबंध में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे।

11. अभिकर्ताओं या समनुदेशितियों द्वारा दावे . यथास्थिति, नष्टि के स्वामी के अभिकर्ता या समनुदेशिती द्वारा किए गए दावे को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक दावेदार ऐसे दस्तावेज जिन्हें वह ऐसे समाधान के लिए पर्याप्त समझे, कि अभिकर्ता या समनुदेशिती को स्वामी द्वारा इस निमित्त सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किया गया है, पेश करके रिसीवर का समाधान नहीं कर लेता है।

12. मृतक स्वामी के किसी प्रतिनिधि का दावा . किसी मृत मास्टर, नाविक या नष्ट जलयान के यात्री की नष्टि में की कोई वस्तु या उसके विक्रय आगम की बाबत कोई दावा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि दावेदार, ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य पेश करके जिसे रिसीवर ऐसी वस्तुएं या उनके विक्रय आगम की बाबत हक के बारे में आवश्यक समझे, रिसीवर का समाधान नहीं कर लेते है।

13. असली स्वामी को नष्टि का परिदान किया जाना : (1) किसी नष्टि का असली स्वामी, जिसने नष्टि या उसके किसी पुर्जे या ऐसे नष्टि या उसके पुर्जे के विक्रय आगम की बाबत इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रिसीवर के समाधानप्रद रूप में अपना हक स्थापित कर लिया हो रिसीवर को उद्धारण प्रभार, अन्य कोई व्यय जो रिसीवर द्वारा नष्टि की पुनः प्राप्ति, संरक्षण या सुरक्षा में सही रूप से उपगत किया गया हो, तथा नियम 27 के अधीन रिसीवर को देय फीस, देने के लिए बाध्य होगा।

(2) रिसीवर नष्टि या उसके पुर्जे या ऐसे नष्टि या उसके पुर्जे के विक्रय आगम का किसी दावेदार को परिदान करना तब तक रोक सकेगा जब तक कि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट उसका दावा पूर्ण रूप से तय नहीं हो जाता है।

(3) इस नियम के प्रयोजनार्थ दावेदार, इस बात के होते हुए भी कि उसका दावा सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके पुर्जे के बारे में है, उद्धारण प्रभार तथा समस्त नष्टि सम्पत्ति की बाबत रिसीवर द्वारा उपगत किए गए अन्य व्यय देने के लिए बाध्य होगा।

(4) रिसीवर, नष्टि या उसके विक्रय आगम देने के पश्चात् दावेदार से पंचम अनुसूची के भाग 1 में रसीद प्राप्त करेगा।

14. ऐसे नष्टि का विक्रय जिसके बारे में दावा नहीं किया गया है : (1) रिसीवर, किसी ऐसे नष्टि पोत को, जो अधिनियम की धारा 398 के उपबंधों को आकृष्ट करता है, नियम 15 के उपबंधों के अनुसार विक्रय कर सकेगा।

(2) ऐसे नष्टि, जो अधिनियम की धारा 398 के उपबंध आकृष्ट नहीं करती है, केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से लिखित रूप में अनुदेशों के बिना नहीं बेची जा सकेगी। ऐसी प्रत्येक नष्टि की बाबत रिसीवर, नष्टि के कब्जे में लेने की तारीख से 12 मास की समाप्ति के ठीक पश्चात् केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से, प्रमुख अधिकारी के माध्यम से निदेश प्राप्त करेगा।

15. नष्टि के विक्रय के लिये प्रक्रिया : (1) रिसीवर लोक नीलाम के माध्यम से अन्यथा किसी नष्टि का विक्रय नहीं करेगा। क्रेता को ऐसा प्रत्येक विक्रय सरकार या पत्तन प्राधिकारियों की देय किन्हीं करों के लिए तथा नष्टि पर प्रत्येक सामुयिक धारणाधिकार जैसे विलंगम के लिए उसका पूरा दायित्व मानते हुए "जैसा है जहां है" के आधार पर किया जायगा।

(2) किसी नष्टि पोत के विक्रय के लिए सूचना विक्रय के लिए नियत तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व कम से कम ऐसे दो दैनिक समाचारपत्रों में जिनका सम्बद्ध नौ-परिवहन विभाग के जिले में व्यापक परिचालन है, तीन लगातार अंकों में प्रकाशित की जाएगी। ऐसी प्रत्येक सूचना में निम्नलिखित बातें होंगी——

(क) उस नष्टि का विवरण जिसका विक्रय किया जा रहा है, उसका स्थल तथा अन्य ज्ञात विशिष्टियां, यदि कोई हो;

(ख) नीलाम की कीमत की वह प्रतिशतता जिसकी अदायगी नीलाम की समाप्ति के पश्चात् तत्क्षण करनी होगी;

(ग) वह अवधि जिसके भीतर सफल बोली लगाने वाले द्वारा अतिशेष की रकम देय होगी;

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो बेचे जाने वाली नष्टि की प्रकृति तथा उन परिस्थितियों जिनमें उसका विक्रय किया जा रहा है, के आधार पर आवश्यक समझी जाएं;

(ङ) ऐसा उपबंध जो रिसीवर के पक्ष में ऐसा अधिकार आरक्षित करता है कि वह सब ऊंची बोली नामंजूर कर सके या बिना कारण दिए विक्रय को स्थगित या रद्द कर सके,

(च) इस प्रकार का उपबंध कि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट तत्क्षण अदायगी की रकम उस दशा में समपहरणीय होगी जबकि सफल बोली लगाने वाला खण्ड (ग) में अनुबंधित अवधि के भीतर अतिशेष रकम की पूर्ण और अंतिम अदायगी करने में असफल रहता है,

(3) जहां रिसीवर सबसे ऊंची बोली स्वीकार नहीं करता है या किसी नीलाम को स्थगित या रद्द कर देता है, वहां, वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करेगा तथा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगा।

(4) जहां रिसीवर द्वारा सबसे ऊंची बोली नामंजूर करने या नीलाम रद्द करने या अनुबंधित अवधि के भीतर कीमत की पूर्ण और अंतिम अदायगी करने में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के असफल रहने के कारण कोई नीलाम निरर्थक हो जाता है, वहां रिसीवर नष्ट पोत के पुनः विक्रय के लिए आयोजन करेगा।

16. दो या अधिक रिसीवरों की अधिकारिता मे फैली हुई नष्टि : जब किसी नष्टि का कोई भाग एक रिसीवर की अधिकारिता के भीतर बहायी या तट पर लायी जाती है और उसका शेष भाग दूसरे रिसीवर या रिसीवरों की अधिकारिता में बहायी या तट पर लायी जाती है, तब प्रत्येक रिसीवर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करेंगे।

17. अन्य रिसीवर की अधिकारिता में परिवर्त्त नष्टि : जब किसी रिसीवर की अधिकारिता में पायी गयी नष्टि किसी अन्य रिसीवर को परिवर्त्त की जाती है, तब पश्चात्कथित इस मामले की रिपोर्ट सुरन्त पूर्ववर्ती को करेगा। ऐसी नष्टि का व्ययन, ऐसे रिसीवर द्वारा जिसे वह परिवर्त्त किया गया है, ऐसी रीति से किया जायगा मानों वह उसकी अधिकारिता में पायी गयी हो।

18. ऐसी सम्पत्ति जिसके बारे में यह सिद्ध किया गया है वह नष्टि नहीं है : (1) कोई रिसीवर ऐसी सम्पत्ति का कब्जा नहीं लेगा जो प्रथम दृष्टया नष्टि पोत प्रतीत नही होती है।

(2) रिसीवर द्वारा कब्जे में ली गई कोई सम्पत्ति जब नष्टि पोत के रूप में नही पाई जाती है, तब उसे इस शर्त के अधीन, दावा करने पर, असली स्वामी को परिवर्त्त किया जाएगा कि पश्चात्कथित नियम 25 में यथानुध्यात, उसके सुरक्षित संरक्षण के लिए रिसीवर द्वारा उपगत युक्तियुक्त व्यय देने के लिए सहमत है।

19. ऐसे बोया जो बहते हुए या तट पर पाए जाते हैं—जब रिसीवर किसी बोया के बहने या उसके तट पर फेंके जाने के बारे में कोई आसूचना प्राप्त करता है या जब ऐसा कोई बोया उसे परिवर्त्त किया जाता है, तब वह ऐसी विशिष्टियां सहित जो उपलब्ध हों, एक रिपोर्ट प्रमुख अधिकारी को संसूचित करते हुए, प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाश नौका निदेशालय के निकटतम कार्यालय को भेजेगा। जहां रिसीवर, प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाश नौका निदेशालय के निकटतम कार्यालय को संसूचित नहीं कर सकता है, वहां वह मामले के बारे में प्रमुख अधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो उस रिपोर्ट को समुचित प्राधिकारियों को भेजेगा।

भाग 3

उद्धारण

20. उद्धारण : (1) संकटग्रस्त जलयान का स्वामी या मास्टर या इस निमित्त स्वामी द्वारा सम्यकत. प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, संकटग्रस्त जलयान के संबंध में उद्धारण सेवाए करने के लिए किसी व्यक्ति से करार कर सकेगा। ऐसे करार में निम्नलिखित के संबंध मे व्यवस्था होगी—

(1) वह रकम जो संकटमय कार्य के सफलतापूर्वक पूरे होने पर उद्धारक को देय हो;

(2) वह रकम जो सकटमय कार्य के भागतः सफलता की दशा में उद्धारक को देय हो,

(3) संविदा के पक्षकारो के अधिकार और उत्तरदायित्व जिसमें पारिश्रमिक के लिए उद्धारक का अधिकार भी सम्मिलित है तथा उसकी वसूली के लिए उपाय;

(4) वह रीति जिससे इस करार से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद तय किया जाएगा; और

(5) विशिष्ट महत्व या करार की विषय-वस्तु से सुसंगत कोई अन्य बात।

(2) जहां कोई जलयान जिसके संबंध में उद्धारण सेवाएं की गई हो, नष्टि है, वहां उसके स्वामी को, यदि वह नष्टि के बारे में दावा करता है, उद्धारण प्रचार संबंधी सभी बातों को अपने तथा उद्धारक के बीच तय करने का अवसर दिया जाना चाहिए। किसी भी दशा में नष्टि का परिदान स्वामी को तब तक नही किया जाएगा जब तक रिसीवर का यह समाधान नही हो जाता है कि उद्धारण प्रभारों से संबंधित सभी दावे सम्बद्ध पक्षकारो के समाधानप्रद रूप में तय किए गए है।

(3) जहा किसी ऐसे मामले में स्वामी या उद्धारक रिसीवर को रिपोर्ट करता है कि उद्धारण संबंधी बाते पक्षकारों के बीच में मैत्रीपूर्ण भाव से तय नहीं हो सकी हैं तथा विवाद का तय किया जाना अधिनियम की धारा 402 की उपधारा (4) और (5) के उपबंधों के अनुसार किया जाना चाहा गया है, वहां रिसीवर स्वामी को नष्ट पोत का परिदान करना तब तक रोके रखेगा जब तक कि सक्षम न्यायालय का निर्णय उपलब्ध नहीं होता है तथा निर्णय की प्राप्ति पर वह स्वामी को नष्टि का परिदान करने से पूर्व उक्त निर्णय के अनुसार उद्धारण प्रभार संबंधी दावे तय करवाएगा।

(4) जहां कोई जलयान, जिसके संबंध में उद्धारण सेवाएं की गई है, नष्टि है किन्तु उसका स्वामी उसके बारे में दावा नहीं करता है, तब रिसीवर नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार उद्धारण संबंधी सभी बाते तय करने का उत्तरदायित्व स्वयं लेगा।

21. उद्धारण के रूप में देय रकम का अवधारण : (1) वहां के सिवाय जहां स्वामी और उद्धारक के बीच कोई अभिव्यक्त करार विद्यमान है अधिनियम की धारा 402 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को देय उद्धारण की रकम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए अवधारित की जाएंगी, अर्थात् —

(क) ऐसे खतरे की प्रकृति तथा सीमा जिसमें सुरक्षित किए गए मानव जीवन और या सम्पत्ति उच्छन्न थे,

(ख) सुरक्षित की गई सम्पत्ति का सकल मूल्य;

(ग) जहां उद्धारित सम्पत्ति का विक्रय किया गया हो, वहां उसके विक्रय आगम

(घ) जोखिम की वह प्रकृति और सीमा जो उद्धारक ने उठाई है;

(ङ) उद्धारक को सम्पत्ति का वह मूल्य जो उद्धारण सेवा में लगा है और उस खतरे की प्रकृति और सीमा जिसमे वह उच्छन्न था;

(च) बीमा जोखिम, यात्रियों या स्थोरा या दोनों के प्रति दायित्व, जो अन्तर या विलम्ब के कारण हो, जैसी उद्धारण सेवा के पालन में उपगत उत्तरदायित्व;

(छ) निरोध, लाभप्रद व्यापार की हानि, जलयान, उसके उपस्कर या गियर द्वारा सहे गये नुकसान जैसी उद्धारण सेवा के अनुपालन में उपगत हानि;

(ज) वे व्यय जो उद्धारण सेवा में वृद्धि करने के लिए उद्धारक द्वारा उचित रूप से उपगत किए गए हों;

(झ) वे व्यय जो उद्धारण सेवा के कारण जीवन को हानि या क्षति या सम्पत्ति को नुकसान होने के कारण उद्धारक द्वारा उपगत किए गए हो;

(य) सेवा करने मे उद्धारक द्वारा दिखाया गया कौशल; और

(ट) उद्धारण सेवा करने में व्यतीत समय और लगाया गया श्रम ।

(2) जहां उप-नियम (1) का खण्ड (क) केवल एक मात्र सिद्धान्त है जिस पर उद्धारण दावा आधारित है, वहां कोई उद्धारण व्यय देय नहीं होगा ।

22. मूल्यांककों की नियुक्ति. (1) उद्धारित की गई किसी संपत्ति के मूल्य अवधारित करने के प्रयोजनार्थ या नियम 21 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी तथ्य की मूल्यांकन के लिए, रिसीवर मूल्य निर्धारकों के पैनल में से किसी ऐसे मूल्यांकक को नियुक्त कर सकेगा जिसके बारे में प्रमुख अधिकारी निवेदन करके उसके पास सिफारिश करेगा ।

(2) रिसीवर अभिलेख में मूल्यांकक की रिपोर्ट रखेगा और उसकी अनुप्रमाणित प्रतियां स्वामी तथा उद्धारक को देगा ।

(3) मूल्यांकक को ऐसे प्रभार जिन्हें रिसीवर युक्तियुक्त समझे, दिए जाएंगे और इस प्रकार के प्रभार उद्धारण संबंधी खर्च खाते पर प्रभार होंगे ।

परन्तु जहां स्वामी या उद्धारक के निवेदन पर तथा अन्य पक्षकार की सम्पत्ति के बिना कोई मूल्यांकक किया जाता है, वहां प्रभार उस पक्षकार द्वारा दिए जाएगे जिसके निवेदन पर मूल्यांकक की नियुक्ति की गई थी ।

23. उद्धारण पंचाट : (1) कोई उद्धारण पंचाट—

(क) ऐसे किसी मामले में जहा सम्पत्ति या उसके विक्रय आगम के बारे में स्वामी या उसके सम्यक्त: प्राधिकृत अभिकर्ता या समनुदेशिती द्वारा दावा किया जाता है, तब तक नही किया जाएगा जब तक कि उक्त सम्पत्ति या उसके विक्रय आगमों के बारे में दावेदार का हक स्थापित नही हो जाता है,

(ख) ऐसे किसी मामले में, जहा सम्पत्ति का दावा उसके स्वामी या उसके सम्यकर्त: प्राधिकृत अभिकर्ता या समनुदेशिती द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उक्त सम्पत्ति का विक्रय नहीं किया जाता है;

(ग) ऐसे मामले में जिसमें पक्षकारों में से किसी ने नियम 22 के अधीन मूल्यांकन की नियुक्ति के लिए आवेदन किया हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक मूल्य निर्धारित के प्रभार नहीं दिये जाते है;

(2) जहां रिसीवर ने उद्धारण पंचाट किया हो वहां वह स्वामी को सम्पत्ति का परिदान तब तक रोके रखेगा जब तक स्वामी उक्त पंचाट के अधीन उद्धारक को देय उद्धारण की बाबत उद्धारक से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता है ।

(3) जहां रिसीवर ने किसी सम्पत्ति का व्ययन कर दिया है, वहां वह सम्पत्ति के विक्रय आगमों के भीतर रहते हुए, पंचाट के अनुसार उद्धारक का दावा तय करेगा और स्वामी को अतिशेष विक्रय आगम देने से पूर्व वह उद्धारक से टोकन के रूप में एक रसीद प्राप्त करेगा कि उसने अपने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे के रूप में रकम प्राप्त कर ली है ।

भाग 4

साधारण

24. स्वामी द्वारा देय उद्धारण और अन्य प्रभार : (1) अधिनियम की धारा 399 के अनुसरण में, सम्पत्ति या अन्य सम्पत्ति या दोनों या उनके विक्रय आगम स्वामी या उसके सम्यक्त: प्राधिकृत अभिकर्ता या समनुदेशिती को देने से पूर्व रिसीवर को निम्नलिखित रकमें दी जाएंगी, अर्थात् :—

(क) व्ययों की रकम जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(1) भाण्डागारण प्रभार;

(2) परिवहन प्रभार,

(3) सुरक्षा प्रबन्ध प्रभार;

(4) यात्रा प्रभार;

जो रिसीवर द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन में उपगत किए गए हो या अन्य व्यय जो उसके द्वारा अपने कर्त्तव्यों के सम्यक् पालन में युक्ति-युक्त रूप से उपगत किए गए हो; और

(ख) फीस की वह रकम जो नियम 27 के अधीन रिसीवर को देय हो ।

(2) जहां रिसीवर ने नियम 20 के उप-नियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में किसी नष्टि संबंधी उद्धारण विषयों पर विचार कर लिया है, वहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रकम में उद्धारण की वह रकम जो नियम 21 के अधीन अवधारित की गई है तथा वे प्रभार, यदि कोई हों, नियम 22 के अधीन मूल्यांकक को देय हों, भी सम्मिलित होंगे ।

परन्तु मूल्यांकक के प्रभार उस रकम में ऐसी दशा में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे जबकि मूल्यांकक की नियुक्ति किसी भी पक्षकार के आवेदन पर नही की गई थी ।

(3) रिसीवर, दावेदार को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रभारों और अन्य कटौतियों का ब्यौरा देगा जिसके साथ सुसंगत बाउचरों की अनुप्रमाणित प्रतिया भी होगी ।

(4) रिसीवर, दावेदार को सम्पत्ति या उसके विक्रय आगम देने के पश्चात्, दावेदार से टोकन के रूप में पंचम अनुसूची के भाग एक में रसीद प्राप्त करेगा कि उसने ऐसी नष्टि, अन्य सम्पत्ति या उसके विक्रय आगम प्राप्त कर ली हैं ।

25. उत्क्लेलित या अन्यथा संकटग्रस्त जलयानों के संबंध में की गई सेवाएं : (1) जहां कोई जलयान जो कि नष्ट पोत नही है, उत्क्लेलित या अन्यथा संकटग्रस्त होने पर फलक पर के व्यक्तियों के जीवन या सम्पत्ति जिसमें उसका गियर, एन्कल, नाव और अन्य उपस्कर भी है, की रक्षा करने के लिए रिसीवर से कोई सहायता लेता है, वहां ऐसे जल-यान या सम्पत्ति का स्वामी उन सभी व्ययो के देने के लिए दायी होगा जो रिसीवर द्वारा ऐसी सहायता देने में युक्तियुक्त रूप से उपगत किए गए हो ।

(2) जहां ऐसी सेवाओं की बाबत किसी व्यक्ति को अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उद्धारण प्रभार देय हो जाते है या उपनियम (1) के अधीन कोई प्रभार रिसीवर को देय हो जाते हैं, वहां रिसीवर को जलयान निरुद्ध करने का तब तक प्राधिकार होगा जब तक कि उद्धारण और अन्य प्रभार संबंधी ऐसे सभी दावे स्वामी द्वारा तय नही किए जाते है :

परन्तु इस उप-नियम के अधीन कोई जलयान उस दशा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा जब कि उसका स्वामी रिसीवर को अपने द्वारा देय किसी रकम की अदायगी की बाबत पर्याप्त प्रतिभूति देता है ।

(3) उप-नियम (2) के परन्तुक के अनुसरण में दी गई कोई प्रतिभूति, अधिनियम की धारा 402 की उपधारा (4) के अधीन अधिकारिता प्राप्त सक्षम न्यायालय द्वारा उसी रीति से प्रवृत्ति की जाएगी, मानो कि उस न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर की गई हो और प्रवृत्त की गई हो ।

26 प्राप्तिया और व्यय . रिसीवर अपने कर्तव्यो के पालन करने में अपने द्वारा उपगत किए गए सभी व्यय और अन्य प्रभारी की पूर्ति प्रमुख अधिकारी के ऐसे स्वीकृत बजट मे से करेगा जो समुचित व्यय शीषक के अधीन दी गई है और सभी प्राप्तियो को समुचित राजस्व शीष म जमा करेगा .

परन्तु ऐसे पत्तन प्राधिकारी जो अधिनियम की धारा 391 के अधीन रिसीवरो के रूप मे अपनी नियुक्ति होने के कारण कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, ऐसे सभी व्यय और प्रभारो को विकलित करेंगे तथा सभी प्राप्तियो को अपनी क्रमिक पत्तन निधियों में जमा करेगा ।

27 फीस . छठी अनुसूची मे विनिर्दिष्ट सभी या किन्ही बातो की बाबत, रिसीवर को ऐसी फीस दी जाएगी जो उक्त अनुसूची मे विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

28 रिपोर्ट पुस्तक · (1) प्रत्येक रिसीवर सातम अनुसूची मे विनिर्दिष्ट प्ररुप में किसी नष्टि, जिसका उसने कब्जा लिया है तथा ऐसे नष्टि की बाबत प्राप्त किए गए या दिए गए धन के बारे में पूर्ण विशिष्टिया अभिलिखित करते हुए एक रजिस्टर रखेगा ।

(2) जहां किसी नष्टि की बाबत किसी व्यक्ति को उद्धारण प्रभार देय हो वहा रिसीवर हिसाब किताब अतिम करने से पूर्व आठवी अनुसूची में निर्दिष्ट प्ररुप मे उद्धारक का वारट प्राप्त करेगा ।

29 शास्तिया : जो व्यक्ति इन नियमो के किसी भी उपबंध को भग करता है, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा और यदि भग जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् जिसके दौरान भंग जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

प्रथम अनुसूची

(नियम 2 (ग) देखिये)

तीनो जल परिवहन विभाग जिलो में से प्रत्येक की अधिकारिता का विस्तार उन क्षेत्रो तक है जो इसमे विनिर्दिष्ट है, अर्थात् :—

मुम्बई जिला

इसमे गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य का वह भाग आता है जो उत्तरी कन्नड जिले मे भटकल पत्तन तक है तथा जिसमें वह भी सम्मिलित है और गोवा, दमण और दीव का सघ राज्य क्षेत्र आता है ।

कलकत्ता जिला

इसमे उडीसा, पश्चिमी बगाल और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सघ राज्य क्षेत्र आता है ।

मद्रास जिला

इसमे कर्नाटक राज्य का (भटकल पत्तन के दक्षिण का) शेष भाग केरल और तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी और लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदिवी द्वीप समूहो के सघ राज्य क्षेत्र आते हैं ।

भाग II

दावेदार द्वारा की जाने वाली घोषणा, जब रिसीवर को उसके हक के बारे में कोई शका हो

दावे के समर्थन में प्रस्तुत की गई दस्तावेजो का वर्णन

मैं——————————निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से घोषित करता हू कि————

1 इसकी दूसरी और प्ररूप के स्तम्भ 1, 2, 3, 4, 5 और 7 मे अन्तर्विष्ट विशिष्टियां शुद्ध और सही है,

2. मैं उसमे वर्णित सम्पत्ति के कब्जे का हकदार हूं, और सभी उचित व्यय देने के पश्चात् मैं उक्त सम्पत्ति पर कब्जे का दावा करता हूं।

3 स्वामित्व, अभिकरण या हितों के समनुदेशन के साक्ष्य के रूप मे इसके साथ प्रस्तुत और उक्त प्ररूप के स्तम्भ 8 मे वर्णित दस्तावेज सही और असली हैं, और ऐसी दस्तावेजों में वर्णित उक्त————————————ऐसी है जो उक्त——————है,

ऊपर नामित

और मैं यह सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा अपनी अन्तरात्मा से कर रहा हू और मुझे विश्वास है कि यह सही है ।.

————

दावेदार के हस्ताक्षर

आज 19————के/की————के————
दिन————को मेरे सम्मुख घोषणा की गई

रिसीवर के हस्ताक्षर

प्राप्ति की तारीख	प्राक्कलित मूल्य	सम्पत्ति का वर्णन	स्वामियो का नाम और पता (यदि ज्ञात हो)	जलयान का नाम सरकारी सं० और रजिस्ट्री का पत्तन (यदि ज्ञात हो)
1	2	3	4	5

उद्धारण की विशिष्टियां					नए पोत की बाबत संव्यवहार		विक्रय की तारीख	किसको बेची गई
तारीख, जब पाई गई हो	ठीक ठीक जगह जहां पाई गई	की गई सेवाएं	उद्धारक का नाम	उद्धारक का पता	नष्ट पोत पर प्रभार	स्वामियों से प्राप्त धन का लेखा		
6	7	8	9	10	11	12	13	14
						रु० पै०	रु०	पै०
					1– यात्रा 2–आनुषंगिक व्यय, जैसे भाण्डागारण भाटक ढुलाई आदि । 3–रिसीवर को संदेय फीस । 4–मूल्य निर्धारक को संदेय फीस, यदि कोई हो । 5–सीमा-शुल्क । 6–उद्धारण । कुल प्रभार ।	उद्धारण आदि के लिए जमा धन के रूप में जिसका निपटारा संविदा के अनुसार प्रभारों के संदाय करने में किया गया । स्वामियों को वापस किए गए जमा धन का अतिशेष । संविदा के अनुसार प्रभारों के संदाय के रूप में ।		

बेचे गए नष्ट पोत की विशिष्टियां		परिवर्त नष्ट पोत या स्वामियों को संदत्त विक्रय–आगम			
विक्रय द्वारा वसूल की गई रकम	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 358 के अधीन स्वामियों को संदत्त किए जाने वाले जमा रखे जाने वाले शुद्ध आगम	संदाय या परिदान की तारीख	किसको संदत्त या परिवर्त की गई	क्या स्वामी है या अभिकर्त्ता है, आदि आदि	निर्देश वाउचर और पत्र-व्यवहार या दूसरे पृष्ठ पर प्रविष्टि विशिष्टियां
15	16	17	18	19	20
रु० पै०	रु० पैसे				
सकल आगम स्तम्भ 11 के अनुसार व्ययों की कटौती कीजिए ।					

निर्देश संख्या	अतिरिक्त विशिष्टियां

द्वितीय अनुसूची

(नियम 4 देखिए)

भारत सरकार द्वारा जारी

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन, पाई गई और निष्ट के रिसीवर को परिदत्त नष्टि या अन्य वस्तुओं के बारे में उद्धारक या नष्टि पाने वाले व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट

(क) सम्पत्ति को पाने की तारीख और स्थान

तारीख, जिसको पाई गई				स्थान, जहां पाई गई
वर्ष	मास	तारीख	घटा	यदि 'तिरती हुई' पाई गई, तो उसका 'तिरती हुई' उल्लेख कीजिए और कुछ सुज्ञात स्थानों की दूरी और दिशाएं दीजिए । यदि वह 'तट पर' है तो उसका 'तट पर' प्राप्त हुआ उल्लेख कीजिए, और ठीक ठीक स्थान बतलाइए, जहां वह पाई गई ।
1	2	3	4	5

(ख) पाई गई या उद्धारित की गई सम्पत्ति की विशिष्टियां

वस्तुओं का वर्णन	प्राक्कलित मूल्य	जलयान का नाम, सरकारी सं० और रजिस्ट्री का पत्तन, जिसका है (यदि ज्ञात हो)	सम्पत्ति के स्वामियों का नाम और पता (यदि ज्ञात हो)
6	7	8	9
	रु०		

(ग) उद्धारण सेवाओं की प्रवृत्ति और अवधि

सेवाओं की प्रकृति	सेवाओं की अवधि	
	आरम्भ होने का समय	समाप्त होने का समय
10	11	12

(घ) उद्धारकों द्वारा घोषणा

(खंड घ मे यह घोषणा तब तक नहीं भरी जानी है जब तक दो से अधिक व्यक्ति उद्धारण मे न हों।)

हम, जिनके नाम इसमें दिए गए हैं, घोषित करते हैं कि इस प्ररूप के खंड क, ख और ग मे अन्तर्विष्ट विशिष्टियां हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार शुद्ध और सही हैं, और हम,

—————के—————को अपनी ओर से रिसीवर को सम्पत्ति की रिपोर्ट देने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

आज 19 के/की—————की—————तारीख

उद्धारकों के हस्ताक्षर उद्धारकों के पते

उपर्युक्त हस्ताक्षर मेरे द्वारा साक्ष्यित किए गए।

—————
————— साक्षी का नाम और पता
—————

(3) रिसीवर की रिपोर्ट

मैं (—————के हम—————)
†(सम्पत्ति के अन्य उद्धारको द्वारा सम्यक्रूप से प्राधिकृत होते हुए) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अनुसार रिसीवर के रूप में आपको सम्पत्ति की रिपोर्ट देता हूं/देते हैं। †(मैं) †(हम) घोषित करता हूं/करते हैं कि इस प्ररूप के खंड क, ख और ग में अन्तर्विष्ट विशिष्टिया †(मेरी) †(हमारी) सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार शुद्ध और सही हैं और मैं/हम देय उद्धारण का दावा करता हूं/करते हैं/ †(मैं) †(हम) यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि इस समय रिपोर्ट की गई सम्पत्ति वह सब सम्पत्ति है, जो †(मेरे) †(हमारे) कब्जे में आई है और †(मैंने) †(हमने) पाई गई सम्पत्ति का कोई भाग न अपने पास रखा है और न उसका व्यय ही किया है।

आज 19—————के/की—————की—————तारीख

—————
————— दावेदार के हस्ताक्षर और निवास
—————

—————में

नष्ट पोत के रिसीवर को

—————
————— साक्षी के हस्ताक्षर और निवास
—————

†जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दीजिए।

तृतीय अनुसूची

(नियम 6(2) देखिए)

भारत सरकार द्वारा जारी

नौ-परिवहन में बाधा

उत्यक्त जलयान, या तिरते हुए विनाश या निमग्न नष्ट पोत की बाबत रिपोर्ट

प्रश्न	उत्तर
1	2
1. सूचना देने वाले का नाम और पता	1
2. जलयान का नाम तथा पत्तन जिसका वह है	2
3. समुद्र—यात्रा	3
4. (क) बाधा की प्रकृति और उसका परिणाम	4(क)
(ख) नौ-परिवहन को होने वाले संकट की प्रकृति	(ख)
5. उत्यक्त या निमग्न नष्टि पोत का नाम और पत्तन, यदि ज्ञात हो, और यदि ज्ञात नहीं है, तो ऐसी कोई भी विशिष्टियां जिनसे पहचान हो सकती हो।	5
6. विनाश का और उन चिन्हों का वर्णन, जिनसे उसके गन्तव्य स्थान पर जाना संभव हो सकता हो।	6
7. वह तारीख और घंटा, जब उत्यक्त, विनाश, नष्ट पोत को अन्तिम बार देखा गया और रेडियो टेलीग्राफो, यदि वह उसमें फिट की हुई है द्वारा की गई रिपोर्ट की तारीख और घंटा।	7
8. यदि नष्टि–निमग्न है, तो वह ठीक ठीक जगह, जहां वह है और ऐसी स्थिर वस्तुओं की दिशाएं जो दी जा सकती हो (ठीक जगह दिखलाने वाले चार्ट से अनुरेखन करके)	8
9. यदि विनाश उत्यक्त या तैरता हुआ है, तो वह स्थान जहां वह अंतिम बार देखा गया या तथा वह दिशा जिसमें वह बह रहा था।	9
10 क्या उत्यक्त पोत के फलक पर सूचना देने वाला या उसके कर्मी दल में से कोई था?	10
11. क्या उसमें कप्तान नहीं था?	11
12. क्या वह जलाक्रान्त हो गया था?	12
13. क्या वह उलट गया था?	13
14. क्या यह प्रीतत हुआ है कि	14

1	2
उसकी किसी से टक्कर हुई है ?	
15. यदि नाश हुआ है तो उसकी म्यौरा की प्रकृति ।	15
16. क्या उसे नौकर्षण करने या नष्ट करने के लिए कोई प्रयास किया गया था, यदि नही, तो क्यो नही ?	16
17 कोई अन्य विशिष्टिया, जिन्हें रिसीवर सुसंगत समझे ।	17
18 इस रिपोर्ट को देने की तारीख	18
19. बीमाकर्त्ताओं या उनके अभिकर्ताओ को सूचित करने की तारीख ।	19

टिप्पणी :—जो प्रश्न लागू नही होते वे काट दिए जाने चाहिए।

प्रधान अधिकारी

जल परिवहन विभाग जिले को

आज तारीख———19————को भेजा गया

रिसीवर के हस्ताक्षर

चतुर्थ अनुसूची

(नियम 7 देखिए)

भारत सरकार द्वारा जारी

रिसीवर की अभिरक्षा मे के नष्ट पोत के बारे में सूचना

वस्तुओं और उन पर चिन्हों का, यदि कोई हो, वर्णन	कहा पाई गई	कब पाई गई	अनुमानित मूल्य	कहां हैं	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6

आज 19———के/की———के———के दिन दिनांकित ।

रिसीवर

पांचवी अनुसूची

(नियम 9 और 10 देखिए)

भारत सरकार द्वारा जारी नष्ट पोत के रिसीवर की अभिरक्षा वाला नष्टि या अन्य सम्पत्ति के बारे में दावा

भाग 1

जलयान का नाम, रजिस्ट्री का पत्तन और उसकी सरकारी सं०	स्वामी और मास्टर का नाम और निवास	दावे संबंधी हक†
1	2	3

†हक की बाबत शका के किसी मामले में, इस अनुसूची के भाग II मे विनिर्दिष्ट घोषणा की जाने की अपेक्षा की जानी चाहिए ।

रिपोर्ट पुस्तिका में निर्देश सं०	सम्पत्ति और उस पर चिन्हों का, यदि कोई हो, वर्णन	प्राक्कलित मूल्य	सम्पत्ति के परिदान पर स्वामी द्वारा संदत्त सभी प्रभारो का ज्ञापन
4	5	6	7
		रु० पै०	यदि बेची गई हो तो कुल आगम प्रदत्त प्रभार अर्थात् रु० पै० रु० पै० उद्धारण———, यात्रा——— भाण्डागारण किराए में आनुषंगिक व्यय——— रिसीवर को संदेय फीस——— मूल्यांकक को संदेय फीस, यदि कोई हो——— शेषप्रभार, अर्थात्——— उद्धारण——— यात्रा——— आनुषंगिक व्यय——— रिसीवर को संदेय फीस——— मूल्यांकन को संदेय फीस, यदि कोई हो———
		कुल मूल्य ———	कुल प्रभार शुद्ध आगम

मैं प्रमाणित करता हूं कि इस मामले में दावेदार ने स्वामित्व, अधिकरण या हितों के समनुदेशन के बारे में संतोषजनक प्रस्तुत किया है और मैं उसे ऊपर के स्तम्भ 5 में वर्णित सम्पत्ति (के विक्रय के शुद्ध आगमों) की दर से हकदार समझता हूं, क्योंकि ऊपर स्तम्भ 7 में यथा वर्णित सभी उचित व्ययों का संदाय कर दिया गया है ।

आज 19———के/की———की——— तारीख

रिसीवर के हस्ताक्षर

आज 19———के/की——— के———दिन——— ———में ऊपर के स्तम्भ 5 में वर्णित सम्पत्ति (के विक्रय के शुद्ध आगमों) को से रिसीवर से प्राप्त किया ।

यदि संदाय नकदी में 20 रु० से अधिक हो तो समुचित मूल्य का रसीदी टिकट लगाया जाएगा ।

दावेदार

†जो शब्द लागू न हों , उन्हें काट दीजिये,

छठी अनुसूची

(नियम 27 देखिए)

नष्टि पोत के रिसीवर की फीस का मापमान (नियम——देखिए)

(1) नियम 8 के अधीन रिसीवर द्वारा बीमाकर्ता या उसके अभिकर्ता को भेजी गई प्रत्येक रिपोर्ट के लिए——— 15 रुपये

(2) अधिनियम की धारा 395 के अधीन रिसीवर के कब्जे में ली गई या उसकी अभिरक्षा में के प्रत्येक नष्टि के लिए———

(3क) यदि नष्टि अधिनियम की धारा 3 (45) में यथापरिभाषित पोत है——— ऐसे पोत के मूल्य का 8 प्रतिशत किन्तु 5000 रु० से अनधिक

(ख) यदि नष्टि अधिनियम की धारा 3 (39) में यथा परिभाषित कोई पाल जलयान है या अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम 1917 (1917 का 1) की धारा 2(1) में यथापरिभाषित कोई अन्तर्देशीय जलयान है ——————	ऐसे पाल जलयान या अन्तर्देशीय जलयान के मूल्य का 1 प्रतिशत किन्तु 100 रु० से अनधिक
(ग) यदि नष्टि उप खंड (क) और (ख) में वर्णित जलयानों से भिन्न कोई जलयान है————	ऐसे जलयान के मूल्य का आधार किन्तु 50 रुपये अनधिक
(घ) यदि नष्टि उप-खंड (क), (ख) और (ग) में वर्णित माल से भिन्न प्रकार का माल है——————	ऐसे माल के कुल मूल्य का 1 प्रतिशत किन्तु 100 रु० अनधिक ।

(3) किसी जलयान की बाबत जो नष्टि उत्कलित या संकटग्रस्त नहीं है, या ऐसे जलयान की या उसके भाग के रूप में वस्तुओं की बाबत या ऐसे जलयान से बाहर निकाले गए या तट पर बह कर आए हुए किसी माल की बाबत, अधिनियम की धारा 392, 393 और 394 के अधीन रिसीवर द्वारा की गई सेवाओं के लिए

(क) यदि स्थोरा सहित जलयान का मूल्य 20,000 रु० से अधिक हो———	प्रथम यात्रा के लिए 32 रु० तथा किन्तु 128 रु० से की अधिकतम सीमा में रखते हुए हर पश्चात्वर्ती यात्रा के लिए 16 रु० ।
(ख) यदि स्थोरा सहित, यदि कोई हो, जलयान का मूल्य 20,000 रु० है या उससे कम है———	64 रु० की अधिकतम सीमा में रहते हुए प्रत्येक यात्रा के लिए 16 रु० ।

सातवीं अनुसूची

(नियम 28(1) देखिए)

भारत सरकार द्वारा जारी

रिपोर्ट पुस्तिका

नष्टि की विशिष्टियां

रिसीवर द्वारा निम्नलिखित नष्टि का कब्जा लिया जाना

अधिकारी का नाम	कार्यालय का नाम	कहां स्थित है

टिप्पण :—इस पुस्तिका में रिसीवर द्वारा अभिरक्षा में ली गई, या उसके द्वारा अभिग्रहीत या उसको रिपोर्ट किए गए नष्ट पोत या अन्य वस्तुओं और उनकी बाबत सभी संव्यवहारों की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी । ऐसे मामलों की भी उसमें प्रविष्टि की जाएगी, जिनमें रिसीवर संकटग्रस्त जलयान के लिए अपनी सेवा प्रदान करता है, किन्तु उसे अपनी अभिरक्षा में नहीं लेता । सभी प्रविष्टियां सुपाठ्य में और स्याही से की जानी हैं ।

वास्तव में रिपोर्ट-पुस्तिका इस प्रकार रखी जानी चाहिए, जिससे रिसीवर तत्काल, और किन्हीं अन्य दस्तावेजों के प्रति निर्देश किए बिना, पृथक निर्देश सं० वाली प्रत्येक वस्तु (या यदि वस्तु बेच दी गई है, तो विक्रय के कुल आगमों) का मूल्य और उस मद्धे प्राप्त और संदत्त सभी राशियों और सम्पत्ति के व्ययन या विक्रय के आगमों को अभिनिश्चित करने में समर्थ हो सके ।

आठवीं अनुसूची

(नियम 28 (2) देखिये)

निर्देश सं०

उद्धारक का वारण्ट

मैं इसमें वर्णित सम्पत्ति की बाबत उद्धारण संबंधी सभी मांगों की पूर्ण तुष्टि में————रु०————रुपये की राशि स्वीकार करने के लिये तैयार हूं ।

उद्धारक

रु० साक्षी के हस्ताक्षर और पता

आज 19——के/की——के——दिन निम्नलिखित उद्धारक से, नीचे वर्णित सम्पत्ति प्राप्त की ।

रिसीवर

उद्धारक का नाम

सम्पत्ति का वर्णन

[सं० 67-एम०ए० (6)/71]

वि० वि० सुब्रह्मण्यम, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 31st October, 1974

(Merchant Shipping)

G.S.R. 1218.—In exercise of the powers conferred by section 404 and sub-section (2) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

PART I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Wrecks and Salvage) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) "jurisdiction" in relation to a receiver of wreck means the local limits specified in the notification issued under sub-section (1) of section 391 of the Act;

(c) "Mercantile Marine Department District" means the areas of jurisdiction of the respective principal officers specified in the First Schedule to these rules.

(d) "near the coast of India" means at any port or place in India or within the territorial waters of India;

(e) "Owner" includes the master of a vessel where the wreck comprises of a Vessel;

(f) "principal officer" means an officer appointed by virtue of sub-section (2) of section 8 of the Act.

(g) 'port" means a port as defined in the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);

(h) "receiver" means the receiver of wrecks appointed under sub-section (1) of section 391 of the Act;

(i) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;

(j) "valuer" means any person appointed by the receiver under these rules to assess the value of any vessel, or any equipment of such vessel, or any other article of cargo or stores of such vessel.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined in sub-rule (1) shall have the respective meaning assigned to them in the Act.

PART II

WRECKS

3. Communication of intelligence of wreck.—Where a receiver receives intelligence of any vessel having been wrecked or stranded or of being in distress, he shall, immediately on receipt of such intelligence, communicate it to the principal officer.

4. Procedure to be observed on finding a wreck.—(1) Any person who finds and takes possession of a wreck within the limits of jurisdiction of a receiver or brings any such wreck within such limits shall, as soon as practicable, make a report in writing to the receiver in the form specified in the Second Schedule.

(2) The receiver shall forward a copy of every such report to the principal officer.

5. Procedure for taking possession of sunken or abandoned wreck.—(1) When a receiver receives intelligence that a wreck, being a vessel, is sunk or stranded near the coasts of India and is abandoned by its owner he shall, as soon as practicable, proceed to the place where such vessel lies, drop a lead line over such vessel and make a declaration that he has taken possession of the wreck in exercise of his powers under the Act.

(2) Where a receiver receives intelligence that a wreck not being a vessel, is found near the coasts of India, he shall, as soon as practicable, proceed to the place where such wreck is lying and take possession of the wreck physically. Where it is not practicable to take physical possession of the wreck he shall make a declaration that he has taken possession of the wreck in exercise of his powers under the Act.

6. Action to be taken on taking possession of a wreck.—(1) The receiver in taking possession of a wreck shall—

(a) if the wreck consists of a vessel other than an Indian vessel, send a written intimation giving particulars of the wrecked vessel to the nearest consular officer of the country in which the vessel is registered under intimation to the principal officer;

(b) if the wreck consists of an Indian vessel, send a written intimation to the owners of the vessel, under intimation to the principal officer;

(c) if the wreck consists of any parts, articles, or equipments of a vessel other than an Indian vessel, send a written intimation giving particulars of such parts, articles or equipments of the vessel to the nearest consular officer of the country in which the vessel is registered, under intimation to the principal officer;

(d) if the wreck consists of any parts, articles or equipments of an Indian vessel, send a written intimation giving particulars of such parts, articles or equipments of the vessel to the owners of the vessel, under intimation to the principal officer;

(e) if the wreck consists of any cargo cast overboard from a vessel other than an Indian vessel, send a written intimation giving particularts of such cargo to the nearest consular officer of the country in which the ship is registered, under intimation to the nearest customs officer and the principal officer;

(f) if the wreck consists of any cargo cast overboard from an Indian vessel engaged in trading otherwise than in the coasting trade of India, send a written intimation giving particulars of such cargo to the owner of the vessel, under intimation to the nearest customs officer and the principal officer;

(g) if the wreck consists of any cargo cast overboard from an Indian ship engaged in the coasting trade of India, send a written intimation giving full particulars of such cargo to the owner of the vessel, under intimation to the principal officer; and

(h) if the wreck consists of any vessel owned and operated by a Government Department or any article of cargo or equipment of such vessel, send a written intimation giving full particulars of such vessel or, as the case may be, its articles of cargo or equipment to the appropriate authorities of the Department concerned under intimation to the principal officer;

Provided that where in any case referred to in clauses (c), (d), (e), (f) or (g) the identity of the vessel from which the wreck has ensued has not been established, the receiver shall send intimation to the principal officer.

(2) Where any wreck, being a vessel, sunken or stranded causes or is likely to cause an obstruction or danger to navigation in a fairyway leading to any port or place in India, the receiver shall send a report of such obstruction or danger to navigation to the principal officer in the form set out in the Third Schedule. Such report shall, as far as practicable, define the size and nature of the obstruction and its location on the appropriate hydrographic chart.

7. Publication of notification by receiver.— (1) Every notification to be published by a receiver under section 397 of the Act shall be in the form set out in the Fourth Schedule. Every such notification shall be issued within forty eight hours of taking possession of the wreck and be displayed on the notice board in the office of the receiver for not less than fourteen days. A copy of every such notification shall be sent to the principal officer.

(2) Where the estimated value of any wreck exceeds five hundred rupees, the receiver may, in addition to the notification referred to in sub-rule (1), publicise the wreck by an advertisement in three consecutive issues of at least two news papers which have a wide circulation in the Mercantile Marine Department District concerned.

8. Report to underwriter.—Where a wreck consists of a vessel or of any article or equipment belonging to a vessel, the receiver shall forward a copy each of the notification issued by him under section 397 of the Act and advertisement, if any issued under the sub-rule (2) of rule 7, to the appropriate underwriters, if known.

9. Claims to wreck.—All claims to the wreck or sale proceeds thereof shall be made to the receiver in Part-I of the Fifth Schedule.

10. Claims in doubtful cases.—Where, in respect of any claim made for the delivery of a wreck or, as the case may be, for the sale proceeds thereof, the receiver has any doubt as to the title of the claimant, he may require such claimant to fill up Part II of the Fifth Schedule and may further require him to produce such other evidence of title to the claim as he may consider sufficient for entertaining the claim. In any such case the receiver may made inquiries from registrar of ships, shipper, consignee and other person as he may deem necessary for satisfying himself as to title of the claimant.

11. Claims by agents or assigns.—No claim made by an agent or, as the case may be, an assignee of the owner of

the wreck may be entertained unless the claimant satisfies the receiver, by production of such documents as he may consider sufficient for such satisfaction, that the agent or assignee has been duly authorised in this behalf by the owner.

12. Claim of a representative of deceased owner.—No claim in respect of any article of wreck of sale proceeds thereof belonging to any deceased master, seaman or passenger of a wrecked vessel shall be entertained unless the claimant satisfies the receiver, by production of such documentary evidence as the receiver may deem necessary, as to his title to such article or sale proceed thereof.

13. Delivery of wreck to rightful owner.—(1) Any rightful owner of a wreck, who has established his title to a wreck or any part thereof or the sale proceeds of such wreck or part thereof to the satisfaction of the receiver in accordance with the provisions of these rules, shall be under an obligation to pay to the receiver salvage charges, any other expenditure properly incurred by the receiver for the recovery, preservation or safety of the wreck and fees payable to the receiver under rule 27.

(2) A receiver may withold delivery of any wreck or part thereof or sale proceeds of such wreck or part thereof to any claimant until his claim referred to in sub-rule (1) is settled in full.

(3) For the purposes of this rule a claimant shall be under an obligation to pay salvage charges and other expenses incurred by the receiver in respect of the entire property constituting the wreck notwithstanding whether his claim pertains to the entire property or a part thereof.

(4) The receiver shall, on handing over a wreck or sale proceeds thereof obtain from the claimant a receipt in part-I of the Fifth Schedule.

14. Sale of unclaimed wreck.—(1) Receiver may sell any wreck which attracts the provisions of section 398 of the Act in accordance with the provisions of rule 15.

(2) No wreck which does not attract the provisions of section 398 of the Act, may be sold except under instructions in writing from the Central Government or any other officer authorised by it in this behalf. In respect of every such wreck receiver shall seek instructions from the Central Government or any other officer authorised by it in this behalf through the principal officer immediately after expiry of 12 months from the date of taking possession of the wreck.

15. Procedure for the sale of a wreck.—(1) A receiver shall not sell any wreck otherwise than by public auction. Every such sale shall be made on "as is where is" basis with purchaser assuming full responsibility for any taxes payable to Government or port authorities and for encumberance on the wreck such as maritime liens.

(2) A notice for sale of a wreck shall be published not less than fourteen days in advance of the appointed date of sale, in three consecutive issues of at least two daily news papers having a wide circulation in the Mercantile Marine Department District concerned. Every such notice shall include—

(a) the description of the wreck under sale, its site and other known details, if any ;

(b) the percentage of the auction price that shall have to be paid as down-payment immediately after the conclusion of the auction ;

(c) the period within which the balance amount shall be payable by the successful bidder ;

(d) any other details as may be deemed necessary depending upon the nature of the wreck being sold and the circumstances under which it is being sold ;

(e) a provisions reserving right in the receiver to reject highest bid or to postpone or cancel the sale without assigning any reason therefor ;

(f) a provision to the effect that amount of down-payment referred to in clause (b) shall be liable to forefeiture, should the successful bidder fail to effect full and final payment of the balance amount within the period stipulated in clause (c).

(3) Where a receiver does not accept highest bid or postpones or cancels any auction he shall record in writing the reasons therefor and make a report to the Central Government.

(4) Where any auction is frustrated by reason of receiver having rejected the highest bid, or having cancelled the auction or by reason of failure on the part of the highest bidder to effect full and final payment of the price within the stipulated period, the receiver shall organise a fresh sale of the wreck.

16. Wreck spread over two or more receivers' jurisdiction.—When a part of any wreck is washed or brought ashore within the jurisdiction of one receiver and the remaining part thereof is so washed or brought ashore in the jurisdiction of another receiver or receivers, each receiver shall act independently of each other.

17. Wreck delivered in the jurisdiction of another receiver.—When a wreck found in the jurisdiction of any receiver is delivered to any other receiver, the latter shall immediately report the matter to the former. The disposal of such wreck shall be done by the receiver to whom it is delivered in the like manner as if it was found in his jurisdiction.

18. Property proved not to be wreck.—(1) No receiver shall take possession of any property which *prima facie* does not appear to be a wreck.

(2) Any property taken possession of by the receiver is found as not constituting a wreck, shall be delivered to the rightful owner when claimed, subject to the latter agreeing to meet the reasonable expenses incurred by the receiver for its safe preservation as contemplated in rule 25.

19. Buoys found adrift or ashore.—When receiver receives intelligence of any buoy being adrift or having been washed ashore or when any such buoy is delivered to him he shall send a report with such particulars as may be available to the nearest office of the directorate of light houses and light ships under intimation to the principal officer. Where a receiver is not able to communicate with the nearest office of the directorate of light houses and light ships, he shall report the matter to the principal officer who shall transmit the report to the appropriate authorities.

PART III

SALVAGE

20. Salvage.—(1) Owner of any vessel in distress or master or any other parson duly authorised by the owner in this behalf may enter into an agreement with any person for rendering salvage services to the vessel in distress. Any such agreement may provide for —

(i) the amount payable to the salvor in the event ot successful completion of the venture ;

(ii) the amount payable to the salvor in the event of partial success of the venture .

(iii) the rights and responsibilities of the parties to the contract including the right of salvor for remuneration and remedies for its recovery ;

(iv) the manner in which any dispute arising out of the agreement shall be settled ; and

(v) any other matter of particular importance or relevance to the subject matter of the agreement.

(2) Where any vessel to which salvage services have been rendered constitutes a wreck, the owner thereof, if he claims the wreck, should be afforded an opportunity to settle all matters relating to salvage charges between him and the salvor. In any such case, the delivery of the wreck to the owner shall be with-

held until the receiver is satisfied that all claims relating to salvage charges have been settled to the satisfaction of the parties concerned.

(3) Where in any such case, the owner of the salvor reports to the receiver that matters relating to salvage could not be settled amicably between the parties and the dispute is sought to be settled in accordance with the provisions of sub-sections (4) and (5) of section 402 of the Act, the receiver shall withhold delivery of the wreck to the owner until the judgment of the competent court becomes available and on receipt of the judgment he shall cause the claim relating to salvage charges to be settled in accordance with the said judgment before making over delivery of the wreck to the owner.

(4) Where any vessel to which salvage services are rendered constitutes a wreck but the owner does not claim the wreck, the receiver shall undertake responsibility for settling all matters relating to salvage in accordance with the provisions of rule 21.

21 Determination of amount due as salvage.—(1) Save where there exists an express agreement between the owner and salvor, the amount of salvage due to any person under the provisions of section 402 of the Act shall be determined having regard to the following considerations, namely :—

(a) nature and degree of danger to which human life and or property saved was exposed ;

(b) agreegate value of the property saved ;

(c) sale proceeds of salved property where such property was sold ;

(d) nature and degree of risk incurred by salvor ;

(e) value of salvor's property engaged in salvage service and nature and degree of danger to which it was exposed ;

(f) responsibilities incurred in performance of salvage services such as risk to insurance, liability to passengers or cargo or both through deviation or delay ;

(g) loss incurred in performance of salvage service such as detention, loss of profitable trade, damage suffered by vessel, its equipment or gear ;

(h) expenses properly incurred by salvor in furtherence of salvage service ;

(i) expenses incurred by salvor towards loss of or injury to life or damage to property arising out of salvage service ;

(j) skill shown by salvor in rendering service ; and

(k) time spent and labour involved in rendering salvage service.

(2) Where clause (k) of sub-rule (1) is the only criterion on which salvage claim is based, no salvage shall be payable.

22. Appointment of valuers.—(1) For the purposes of determining the value of any property salved or for valuating any factor referred in sub-rule (1) of rule 21 the receiver may appoint a valuer from a panel of valuers which shall be recommended to him by principal officer on request.

(2) The receiver shall keep on record the valuer's report and give attested copies thereof to the owner and salvor.

(3) There shall be paid to the valuer such charges as the receiver may consider reasonable and any such charges shall be a charge on the expense account of salvage :

Provided that where a valuer is appointed at the request of either the owner or the salvor without the consent of the other party, the charges shall be paid by the party at whose request the valuer was appointed.

23 Salvage Award.—(1) No salvage award shall be made—

(a) in any case where the property or sale proceeds thereof are claimed by the owner or his duly authorised agent or assign, until the title of the claimant to the said property or sale proceeds thereof is established ;

(b) in any case where the property is not claimed by its owner or his duly authorised agent or assign, until the said property is sold.

(c) in any case where either party has applied for the appointment of valuer under rule 22, until the valuer's charges has been paid.

(2) Where the receiver has made a salvage award, he shall withhold the delivery of the wreck to the owner until the owner obtains a release from the salvor in respect of salvage due to him under the said award.

(3) Where the receiver has disposed of any wreck he shall settle the salvor's claim in accordance with the award from within the sale proceeds of the wreck and obtain a receipt from the salvor in token of his having received the amount in full and final settlement of his claim, before effecting payment of balance sale proceeds to the owner.

PART IV

GENERAL

24. Salvage and other charges payable by owner.—(1) There shall be paid to the receiver the following amounts before the wreck or other property or both, or the sale proceeds thereof, is handed over to the owner or his duly authorized agent or assign, in pursuance of section 399 of the Act, namely :—

(a) the amount of expenses including

(i) warehousing charges ;

(ii) transport charges;

(iii) security arrangement charges ; and

(iv) travelling charges

incurred by the receiver in performance of his duties of any other expenses reasonably incurred by him for due performance of his duties ; and

(b) the amount of fees due to the receiver under rule 27 ;

(2) Where the receiver has dealt with salavage matters respecting any wreck pursuant to the provisions of sub-rule (4) of rule 20, the amount referred to in sub-rule (1) shall also include the amount of salvage determined under rule 21 and the charges if any payable to the valuer under rule 22 :

Provided that the valuer's charges shall not be included in the amount if the valuer was not appointed on application from any ohter party.

(3) The receiver shall furnish to the claimant a statement of charges and other deductions referred to in sub-rule (1) together with attested copies of relevant vouchers.

(4) The receiver shall on handing wreck or any other property or sale proceeds thereof to the claimant, obtain a receipt from the claimant in token of having received such wreck, other property or the sale proceeds thereof in Part-I of the Fifth Schedule.

25. Services rendered to vessels stranded or otherwise in distress.—(1) Where any vessel not constituting a wreck, on being stranded or otherwise in distress, receives any assistance from the receiver for saving life or property on board, including its gear, ankle, boats and other equipments, the owner of such vessel or property shall be liable for payment of all expenditure reasonably incurred by the receiver in providing such assistance.

(2) Where, in respect of any such services, salvage charges become due to any person under the provisions of the Act or any charges become due to the receiver under sub-rule (1) the receiver shall have the authority to detain the vessel until all such claims respecting salvage and other charges are settled by the owner :

Provided that no vessel shall be detained under this sub-rule if the owner thereof provides adequate security to the receiver for payment of any amount due from him.

(3) Any security given in pursuance of proviso to sub-rule (2) shall be enforceable by a competent court having jurisdiction under sub-section (4) of section 402 of the Act in the like manner as if a bail had been granted and enforced by that court.

26. Receipts and expenditure.—The receiver shall meet all expenses and other charges incurred by him in performance of his duties from the sanctioned budget of the principal officer under the appropriate expenditure head and shall credit all receipt to the appropriate revenue head :

Provided that port authorities performing duties by virtue of their appoinment as receivers under section 391 of the Act, shall debit all such expenses and other charges and credit all receipts to their respective port funds.

27. Fees.—In respect of all or any of the matters specified in the Sixth Schedule there shall be paid to the receiver such fees as are specified in the said Schedule.

28. Report book.—(1) Every receiver shall maintain a register in the form specified in the Seventh Schedule recording full particulars of any wreck which he has taken possession of and of the monies received and paid in respect of any such wreck.

(2) Where, in respect of any wreck salvage becomes due to any person, the receiver shall obtain the Salvor's warrant in the form specified in the Eighth Schedule before finalisation of accounts.

29. Penalties.—Whosoever commits a breach of any of the provisions of these rules shall be punishable with fine which may extend upto one thousand rupees and if the breach is a continuous one with further fine which may extend to rupees fifty for every day after the first during which the breach is continuous.

The First Schedule

[See rule 2 (c)]

The jurisdiction of each of the three Mercantile Marine Department Districts extends to the areas specified hereinunder, namely :—

Bombay District

Comprises the States of Gujarat, Maharashtra and portion of Karnataka upto and including port of Bhatkal in North Kanara District, and Union territory of Goa, Daman and Diu.

Calcutta District

Comprises the States of Orissa, West Bengal, and Union territory ofAndaman and Nicobar Islands.

Madras District

Comprises the remaining portion of Karnataka State (South of port Bhatkal), States of Kerala and Tamil Nadu and the Union territories of Pondicherry and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.

PART-II

Declaration to be made by Claimant when Receiver has any doubt as to his Title.

Description of Documents produced in support of Claim
8

I———————— solemnly and sincerely declare,

1. That the particulars contained in Columns 1,2,3,4,5 & 7 of the Form on the other side hereof are correct and true

2. That I am entitled to possession of the property, described therein, and that I hereby claim possession of the said property, subject to the payment of all just expenses.

3. That the document produced herewith, as evidence of ownership, agency or assignation of interests and described in column 8 of the Form are true and genuine documents, and that the said————————mentioned in such documents is the said————above named.

And I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

Signature of Claimant

Declared before me at————this ————day of————19————

Signature of Receiver.

Date of Receipt	Estimated value	Description of property	Name & Address of owners (if known)	Name, Official No. & Port of Registry of vessel (if known)	PARTICULARS OF SALVAGE	
					Date when found	Exact Spot where found
1	2	3	4	5	6	7

PARTICULARS OF SALVAGE			TRANSACTION IN RESPECT OF WRECK		Date of sale	To whomc sold
Services rendered	Name of Salvor	Address of Salvor	Charges on the wreck	Account of money received from owners.		
8	9	10	11	12	13	14
				Rs. P. Rs. P.		
			1. Travelling.	As deposit for salvage etc.		
			2. Incidental expenses such as warehouse rent, cartage etc.	of which was disposed of in payment of charges as per contract.		
			3. Fees payable to Receiver.	Balance of deposit		
			4. Fees, if any, payable to the valuer.	returned toowners		
			5. Customs duties			
			6. Salvage. Total charges.	As payment of charges as per contract.		

PARTICULARS OF WRECK SOLD		WRECK DELIVERED OR SALE PROCEEDS PAID TO OWNERS.			
Amount realized by sale	Net proceeds to be paid to owners or held in deposit under section 398 of the MS Act, 1958.	Date of payment or delivery	To whom paid or deliver	Whether owner or Agent etc. etc.	Reference Vouchers and correspondence or particulars entered overleaf
15	16	17	18	19	20
Rs. P.	Rs. P.				
Gross Proceeds.					
Deduct.					
Expenses per column 11.					

REFERENCE NUMBER	FURTHER PARTICULARS

THE SECOND SCHEDULE

(See rule 4)

Issued by the Government of India.

REPORT BY A SALVOR OR A PERSON FINDING THE WRECK ON WRECK OR OTHER ARTICLES FOUND AND DELIVERED TO A RECEIVER OF WRECK, UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1958

(A) Date and Place of Finding the Propery

DATE WHEN FOUND				PLACE WHERE FOUND
Year	Month	Date	Hour	If found afloat state "afloat", and give the bearings and distance of some well known places. If ashore state "ashore" and give the exact spot where found.
1	2	3	4	5

(3) Particulars of the Property found or Salved

Description of Articles	Estimated Value	Name, Official No. and port of Registry of vessel to which belonging (if known)	Name and Address of owners of Property (if known)
6	7	8	9
	£ Rs.		

(C) **Nature and duration of Salvage of Services**

NATURE OF SERVICE	DURATION OF SERVICES	
	Time of commencement	Time of ending
10	11	12

(D) DECLARATION BY SALVORS

(This Declaration in Division D is not to be filled up unless more than two persons are entered to Salvage.)

......

We, whose names are hereunto subscribed, declare that the particulars contained in Division A,B, and C of this form are correct and true to the best of our knowledge and belief ; and we hereby authorize———————————————to report the property to the Receiver, on our behalf.

Dated at——————this——————day of——————19——————.

Signature of Salvors	Address of Salvors

The above signature were witnessed by me

....
.... } Name and Address of Witness
....
....
....

(E) **Report to the Receiver**

*(I) *(We.................................of.......................................
*(being duly authorized by the other Salvors of the property) hereby report the property to you as Receiver, in pursuance of the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958.

(I)(We) declare that the particulars contained in Divisions A,B, and C this Form are correct and true to the best of *(my) *(our) Knowledge and belief, and *(I) *(We) Claim the salvage due. *(I) *(We) also declare that the property now reported is all that has come into *(my) *(our) possession and that *(I) *(We) have not kept back or disposed of any part of the property recovered.

Date.................................this.................................19

.... } Signature and residence of Claimant

To the Receiver of Wreck at.................................. .... } Signature and residence of Witness.

*Obliterate the words that do not apply.

THE THIRD SCHEDULE

(See rule 6 (2)

Issued by the Government of India

OBSTRUCTION TO NAVIGATION

Report of Derelict Vessel or Floating Wreckage or Sunken Wreck

Queries	Replies
1. Name and address of informant	1.
2. Name and port of the vessel to which she belongs	2.
3. Voyage.	3.
4. (a) Nature and size of obstruction	4. (a)

Queries	Replies
4. (b) Nature of danger to navigation	4. (b)
5. Name and port of derelict or sunken wreck if known, and if not known, any particulars which might lead to its identification	5.
6. Description of the wreckage and any marks which might lead to its destination	6.
7. Date and hour when the derelict, wreckage, wreck, was last seen and date and hour of report made by radio telegraphy, if fitted	7.
8. If sunken wreck, the exact spot in which lying and the bearings of any fixed objects that can be given (Tracing from chart showing exact spot)	8.
9. If a derelict or floating wreckage the place where last seen, and the direction in which drifting.	9.
10. Whether the derelict was boarded by the information or any of his crew	10.
11. Whether she was dismasted	11.
12. Whether she was waterlogged	12.
13. Whether she had capsized	13.
14. Did she appear to have been in collision	14.
15. If laden, the nature of her cargo	15.
16. Was any attempt made to take her in tow or to destroy her, and if not, why not	16.
17. Any other particulars which the Receiver may think relevant	17.
18. Date of making this report	18.
19. Date of informing underwriters or their agents	19.

Note.—The questions which do not apply should be struck out.

Forwarded to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, District, this day of 19

Signatute of Receiver.

THE FOURTH SCHEDULE

(See rule 7)

Issued by the Government of India

NOTICE OF WRECK IN THE CUSTODY OF A RECEIVER

Description of articles and marks thereon, (if any).	Where found	When found	Supposed value	Where lying	Remarks
1	2	3	4	5	6

Dated this day of 19.

Receiver.

Issued by the Govt. of India.

THE FIFTH SCHEDULE

(See rules 9 and 10)

CLAIM TO WRECK OR OTHER PROPERTY IN THE CUSTODY OF A RECEIVER OF WRECK

PART-I

Name, Port of Registry, and Official No. of vessel	Name and Residence of Owner and Master	Title of Claim	Reference No. in Report Book	Description of Property Estimated and of Marks, thereon if any	Estimated Value	Memorandum of all Charges paid by Owner on delivery of Property	
1	2	3	4	5	6	7	
					Rs. P.		Rs. P. Rs. P.
						If Sold Gross Proceeds	
						Charges paid viz :—	
						Salvage	
						Travelling.....	
						Incidental expenses .., Such as warehouse rent.	
						Fees payable to Receiver.....	
						Fees, if any, payable to the valuer.....	
						Charges outstanding viz :—	
						Salvage.....	
						Travelling.....	
						Incidental expenses...	
						Fees payable to Receiver.....	
						Fees, if any, payable to the valuer.....	
					Total Value	Total Charges	Net Proceeds

*In any case of doubt as to title the declaration specified in Part II of this Schedule should be required to be made.

*Obliterate words that do not apply.

I hereby certify that the claimant in this case has produced satisfactory proof of ownership, agency or assignation of interests and that I consider him entitled to the @(net proceeds of sale of the) property described in column 5 above; payment of all just expenses as stated in column 7 above having been made.

Dated this—————day of—————19

Signature of Receiver.

Received this—————day of—————19————— of the Receiver at—————the—————

@ (net proceeds of sales of the) property described in column 5 above.

Revenue stamp of appropriate value to be affixed if payment in Cash exceeds of Rs.20.

Claimant.

THE SIXTH SCHEDULE

(See rule 27)

SCALE OF FEES OF RECEIVER OF WRECK (SEE RULE)

(1) For every report sent by the Receiver to the Underwriter or his agent under rule 8.	Rs. 15/00.
(2) For every wreck taken into possession by or in the custody of the Receiver under section 395 of the Act—	
(a) if the wreck is a ship as defined in section 3(45) of the Act	5% of the value of such a ship but not exceeding Rs. 5000/-
(b) if the wreck is a sailing vessel as defined in section 3(39) of the Act or an inland vessel as defined in section 2(1) of the Inland Steam Vessels Act, 1917 (Act 1 of 1917)	1% of the value of such a sailing vessel or inland vessel but not exceeding Rs. 100/00.
(c) if the wreck is a vessel other than those mentioned in sub-clauses (a) and (b)	Half of the value of such a vessel but not exceeding Rs. 50/00.
(d) if the wreck is of the description of goods other than those mentioned in sub-clauses (a), (b) & (c)	1% of the aggregate value of such goods but not exceeding Rs. 100/00.
(3) For services rendered by the receiver under section 392, 393 and 394 of the Act in respect of a vessel, not being a wreck, stranded or in distress or in respect of articles forming part of or belonging to such vessel or any goods taken out or washed ashore from such vessel—	
(a) if the value of the vessel with her cargo, if any, exceeds Rs. 20,000.	Rs. 32/00 for the first visit and Rs. 16/00 for subsequent visit, subject to a maximum of Rs. 128/-.
(b) if the value of the vessel with her cargo, if any, is Rs. 20,000/-. or under	Rs. 16/00 for every visit, subject to a maximum of Rs. 64/-.

THE SEVENTH SCHEDULE

[See rule 28(1)]

Issued by the Government of India.

REPORT BOOK

PARTICULARS OF WRECK

Taken possession of by the Receiver of Wreck named below.

Name of Officer	Title of office	Where stationed.
(a)		
(b)		
(c)		
(d)		
(e)		

Note:—This book is to contain full particulars of Wreck or other articles taken into custody by the Receiver; or seized by or reported to him, and of all transactions in respect thereof. Cases in which the Receiver renders service to a Vessel in distress, but does not take it into his custody, are also to be entered therein. All the entries are to be made legibly and in ink.

The Report Book should, in fact, be kept in such a manner as to enable the Receiver to ascertain at once, and without reference to any other documents, the value of each article bearing a separate reference number (or if the article has been sold, of the gross proceeds of sale), and all sums received and paid on account thereof, and the disposal of the property or proceeds of sale.

THE EIGHTH SCHEDULE

[See rule 28(2)]

Reference No.

SALVORS WARRANT

I am prepared to accept the sum of Rs.. . ...(rupees.................................. ....and..................paise only) in full satisfaction of all demands for Salvages in respect of the property, herein described.

Rs.

Salvor.

Signature & Address of the Witness.

Received on the............... . ...day of..................................from the under mentioned salvor, the property described below.

Receiver.

Name of Salvor.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Description of property
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

[No.67-MA(6)/71]

V.V. SUBRAHMANYAM, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1974

सा० का० नि० 1219—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय में कानूनगो के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम भूमि और विकास कार्यालय कानूनगो भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कानूनगो	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित अनुसचिवीय	260-6-290-द०रो० 6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : उपायुक्त का कार्यालय, राजस्व विभाग। दिल्ली विकास प्राधिकरण में कानूनगो या पटवारी का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों :— 1. मैट्रिकुलेशन। 2. उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी का कामचलाऊ ज्ञान होना चाहिए। 3. राजस्व-कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अनधिक होगी।)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० ए-12018/2/73-एल० II]

एस० महादेव अय्यर, अवर सचिव।

Ministry of Works and Housing

New Delhi, the 20th September, 1974

G.S.R. 1219:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Kanungo in the Land and Development Office under the Ministry of Works and Housing, namely:—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Land and Development Office Kanungo Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay : The number of the said post, its calassification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified on columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limits, qualifications, etc : The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification : No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving:—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Kanungo in the Office of the Land and Development Office

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Kanungo	1	General Central, Service, Class III, Non-Gazatted Ministerial.	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation: Officers holding the post of Kanungo or Patwari in Deputy Commissioner's Office, Revenue Department Delhi Development Authority, who possesses the following qualifications:— 1. Matriculation. 2. Should have working knowledge of Urdu and Hindi and English. 3. Should have experience of at least three years of revenue work. (Period of deputation—ordinarily not exceeding three years)	Not applicable	Not applicable

[No. A-12018/2/73-LII]

S. MAHADEVA AYYAR Under Secy,

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1974

सा० का० नि० 1220.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् .—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1974 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में,

(क) क्रम संख्या 1 तथा तत्सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी ;

(ख) क्रम संख्या 15 के सम्मुख कालम 12 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"केन्द्र निदेशक (सामान्य ग्रेड) के ग्रेड के ऐसे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर बदली द्वारा जिसकी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।"

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	(क) केन्द्र निदेशक (सामान्य ग्रेड)	41	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-1 राजपत्रित	1100-1600 रुपए	प्रवरण	45 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकेगी)	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री या समकक्ष परीक्षा पास। (2) निम्नलिखित का लगभग 7 वर्ष का अनुभव :— (क) सीनियर या पर्यवेक्षण रूप में प्रसारण/टेलिविजन के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें तैयार करने का, या (ख) किसी सुस्थित समाचार पत्र या पुस्तक प्रकाशन फर्म या कम्पनी में सृजनात्मक लेखन और पत्रकारिता का, या (ग) संगीत, नाटक, आदि से संबंधित कार्य का, या (घ) विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में शिक्षा विस्तार कार्य का, या (ङ) जन सम्पर्क माध्यम अनुसंधान और जन सम्पर्क माध्यम अभियानों का; इस अनुभव में पर्यवेक्षण रूप में लगभग 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए। (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हताओं में संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकानुसार छूट दे सकेगा)। वांछनीय : (1) हिन्दी तथा, अधिमानतः एक अन्य भारतीय भाषा की जानकारी। (2) सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करने का अनुभव। (3) उम्मीदवारों के अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में प्रकाशित सृजनात्मक कृतियों का प्रमाण। (5) नैमित्तिक रेडियो कार्यक्रमों और प्रसारणों में भाग लेना।
	(ख) कार्यक्रम निदेशक	6					
	(ग) अपर केन्द्र निदेशक (वाणिज्यिक)	9					
	(घ) उप निदेशक (विक्री)	1					

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	(1) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, (2) 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति . (1) वे सहायक केन्द्र निदेशक जिनकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा हो। (2) उपर्युक्त (1) के न हो सकने पर, सहायक केन्द्र निदेशक, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव (सेलेक्शन ग्रेड) और कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव (सामान्य ग्रेड) के ग्रेडो के वे अधिकारी जिनकी इन ग्रेडो में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद कुल मिला कर 10 वर्ष की सेवा हो। (3) उपर्युक्त (1) और (2) के न हो सकने पर, वे अधिकारी जिनकी कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव के रूप मे सामान्य ग्रेड मे या सेलेक्शन ग्रेड मे या दोनो मे 10 वर्ष की सेवा हो।	श्रेणी-1 विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।"

टिप्पणी —(1) उपर्युक्त (2) और (3) में उल्लिखित अधिकारियों से चयन इन्टरव्यू के माध्यम मे किया जायेगा जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जायेगा।

(2) उपर्युक्त (2) और (3) पर उल्लिखित अधिकारियो से पदोन्नति की पद्धति द्वारा भर्ती एक साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। इसके बाद स्थिति का पुनरीक्षण होगा।

[फाइल संख्या 5/33/70-बी०(ए)]

एम० एल० टंडन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd October, 1974

G.S.R. 1220,—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963.

(a) for serial number 1 and the entries relating thereto, the serial numbers and the entries specified in the schedule annexed to these rules shall be substituted;

(b) against serial number 15, for the entry in column 12, the following entry shall be substituted, namely :—

"By transfer on deputation of an officer in the grade of Station Director (Ordinary Grade) with 3 years' service in the grade. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)".

THE SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8
"1.	A. Station Director (Ordinary Grade) B. Director of Programmes C. Additional Station Director (Commercial) D. Deputy Director (Sales)	41 6 9 1	General Central Service Class I Gazetted.	Rs. 1100-1600	Selection	45 years (Relaxable for Government servants).	Essential : (i) At least 2nd Class degree of a recognised University or equivalent. (ii) About 7 years' experience of— (a) planning and Production of Programmes for broadcasting/television in a senior or supervisory capacity, or (b) journalism and creative writing in any established newspaper or book publishing firm or company, or (c) work connected with music, drama etc., or (d) education extension work in different developmental fields, or (e) mass media research and mass media campaigns; including about 3 years' administrative experience in a supervisory capacity. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.) Desirable : (i) Knowledge of Hindi and, preferably, one other Indian language. (ii) Experience of organising cultural activities. (iii) Evidence of Published work, of creative production in the candidates' own field of specialisation. (iv) Participation in casual radio programmes and broadcasts.

9	10	11	12	13	14
No	2 years.	(i) 25% by direct recruitment; (ii) 75% by promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion (i) Assistant Station Directors with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (ii) Failing (i) above, officers with 10 years' service in the grades of Assistant Station Director, Programme Executive (Selection Grade) and Programme Executive (Ordinary Grade) combined together rendered after appointment thereto on a regular basis. (iii) Failing (i) and (ii) above, officers with 10 years' service as Programme Executive either as Ordinary Grade or as Selection Grade or both.	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission. (Exemption from consultation) Regulations, 1958."

NOTE :—(1) Selection from officers mentioned at (ii) and (iii) will be made through interview to be conducted by the Union Public Service Commission.

(2) Recruitment by the method of promotion from officers mentioned at (ii) and (iii) above will remain in force for a period of one year, after which the position is to be reviewed.

[F. No. 5/33/70-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1974

सा० का० नि० 1221:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना, वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना, वर्ग 3 पद भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना, वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1972 की अनुसूची में, क्रम सं० 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
21 जिल्दसाज़	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अननुसचिवीय, अराजपत्रित	110-3-130 रु०	अचयन	18–30 वर्ष के बीच	आवश्यक (i) मिडिल स्कूल प्रमाणपत्र (8वीं० श्रेणी) (ii) किसी वाणिज्यक या सरकारी मुद्रणालय में उच्च श्रेणी जिल्दसाजी कार्य, हस्त जिल्दसाजी/मरम्मत या दुर्लभ जीर्णशीर्ण पांडुलिपियों का हथालने का कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। भर्ती व्यावहारिक परख के आधार पर की जाएगी। वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य अर्हताएं।
22 प्रेक्षक	106	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अननुसचिवीय, अराजपत्रित	260-8-300-द०रो० 8-340-10-380-द०रो०-10-430 रु०	लागू नहीं होता	18–25 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से गणित और विज्ञान (भौतिकी और रसायन) विषयों के साथ मैट्रिक समतुल्य अर्हताएं।

8	9	10	11	12	13
नहीं नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके लिए ऐसे दफ्तरी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष निरंतर सेवा की हो।	वर्ग 3, विभागीय प्रोन्नति समिति		लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 12/74-फा० 39/22/73-प्रशा०-1]

मुकेश चन्द, अवर सचिव

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 21st, October, 1974

G.S.R. 1221.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes following rules further to amend the Central Water & Power Research Station, Poona, Class III Posts Recruitment Rules, 1972, namely :—

(1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Poona, Class III Posts Recruitment (Second Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to the Central Water and Power Research Station, Poona, Class III Posts Recruitment Rules 1972 after serial number 20 and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be inserted, namely —

1	2	3	4	5	6	7
21 Book Binder	1	General Central Service Class III Non Ministerial, Non-Gazetted	Rs 110 3 130	Non-Selection	Between 18-30 years	Essential (i) Middle School Certificate (8th Class) (ii) At least three years' practical experience of high class binding work, manual binding/repair of handling of rare fragile manuscripts in a commercial or Government Press Recruitment to be made on the basis of practical test Desirable Matriculation or equivalent qualifications from a recognised University/Board
22 Observer	106	General Central Service Class III Non-Ministerial, Non-Gazetted	Rs 260 8 300-EB-8-340 10 380-EB-10-430	Not applicable	18-25 years	Matriculation or equivalent qualifications from a recognised University/Board with Mathematics and Science (Physics and Chemistry) as subjects

8	9	10	11	12	13
Age No Qualification No	2 years	By promotion 100% failing which by Direct recruitment	Daftries who have rendered at least three years' continuous service in the grade	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment 100%	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No 12/74-F 39/22/73 Adm II]

MUKESH CHAND, Under Secy

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th October, 1974

G.S.R. 1222.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Directorate Training (Class I and Class II posts) Recruitment Rules 1970 namely —

1 (1) These rules may be called the Directorate of Training (Class I and Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1974

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Directorate of Training (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1970 —

(i) in sub-rule (1) of rule 1 for the figures '1970', the figures '1971" shall be substituted ,

(ii) the proviso to rule 4 shall be omitted ,

(iii) after rule 6, the following shall be inserted, namely —

"7 Saving—Nothing in these rules shall affect the reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard"

[No DGET-12/32/74-Adm II]

सा० का० नि० 1223—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (पुस्तकाध्यक्ष वर्ग-2 राजपत्रित) भर्ती नियम 1970 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर 1974

सा० का० नि० 1222—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षण निदेशालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1970 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात —

1 (1) इन नियमों का नाम प्रशिक्षण निदेशालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 प्रशिक्षण निदेशालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम 1970 में—

(i) नियम 1 के उपनियम (1) में '1970' अंकों के स्थान पर '1971' अंक रखे जाएंगे।

(ii) नियम 4 के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(iii) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात —

"7 व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

[सं० डी० जी० ई० टी० 12/32/74-प्रशासन 2]

1 (1) इन नियमों का नाम रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (पुस्तकाध्यक्ष वर्ग 2 राजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (पुस्तकाध्यक्ष वर्ग-2 राजपत्रित) भर्ती नियम 1970 में—

(i) नियम 1 में उपनियम (1) में "1970" अंकों के स्थान पर "1971" अंक रखे जाएंगे।

(ii) नियम 4 के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(iii) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्—

7 व्यावृत्ति इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

[सं० डा० जी० ई० टी०—12/32/74-प्रशा० 2]

डी० पी० कुमरिया अवर सचिव

G.S.R. 1223—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate General of Employment and Training (Librarian Class II Gazetted) Recruitment Rules, 1970

1 (1) These rules may be called the Directorate General of Employment and Training (Librarian Class II Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 1974

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Directorate General of Employment and Training (Librarian Class II Gazetted) Recruitment Rules, 1970—

(i) in sub-rule (1) of rule 1 for the figures "1970" the figures "1971" shall be substituted ,

(ii) the proviso to rule 4 shall be omitted ,

(iii) after rule 6 the following shall be inserted namely —

"7. Saving —Nothing in these rules shall affect the reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard"

[No DGET-12/32 74-Admn II]

D P KUMRIA Under Secy

नई दिल्ली 29 अक्टूबर 1974

सा० का० नि० 1224 केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के बाद केन्द्रीय सरकार शिक्षुता नियम 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्—

1 (1) इन नियमों का नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 शिक्षुता नियम 1962 में

(1) नियम 5 के उप-नियम (1) में होटल और खानपान व्यवसाय समूह से संबंधित समूह संख्या में 15 की वर्तमान मद 1 से 6 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्—

1	रसोइया (सामान्य)	520 20	तीन वर्ष
2	रसोइया (शाकाहारी)	520 20	एक वर्ष और छः मास
3	स्टयुर्ड	521 40 539 20 539 30	दो वर्ष
4	नानबाई या हलवाई	770 10	दो वर्ष और छः मास
5	गृह प्रबंधक	510 10	दो वर्ष
6	होटल लिपिक या स्वागतकर्ता	352 10	दो वर्ष'

(II) अनुसूची I में क्रम संख्या 41 से 46 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

"41	रसोइया (सामान्य)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा या दसवीं श्रेणी जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा से एक श्रेणी कम है उत्तीर्ण होना चाहिए।
42	रसोइया (शाकाहारी)	
43	स्टयुर्ड	
44	नानबाई या हलवाई	
45	गृह प्रबंधक	
46	होटल या लिपिक या स्वागतकर्ता	

[सं० डा० जी० ई० टी० 51(12)II/74-ए० पी०]

New Delhi, the 29th Oct 1974

G.S.R. 1224.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act 1961 (52 of 1961) and after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Apprerticeship Rules, 1962, namely —

1 (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 1974

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Apprenticeship Rules 1962

(i) in sub-rule (1) of rule 5 under Group No 15 relating to Hotel and Catering Trades Group for items 1 to 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely —

"1	Cook (General)	520 20	Three years
2	Cook (Vegetarian)	520 20	One year and six months
3	Steward	521 40) 539 20) 539 30)	Two years
4	Baker Or confectioner	770 10	Two years and six months
5	House Keeper	510 10	Two years
6	Hotel Clerk or Receptionist	352 10	Two years."

(ii) in Schedule I, for Sl Nos 41 to 46 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely —

"41	Cook (General)	Should have passed the Matriculation or equivalent examination or 10th class which is one class below Higher Secondary Examination "
42	Cook (Vegetarian)	
43	Steward	
44	Baker or Confectioner	
45.	House Keeper	
46	Hotel Clerk or Receptionist	

[No DG ET 51(12)/II/74-AP]

सा० का० नि० 1225.—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के बाद, अवधारित करती है कि निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित विनिर्दिष्ट अभिहित व्यवसाय के लिए उस व्यवसाय के अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकारों एवं शिक्षुओं का अनुपात स्तम्भ 3 में दर्शाए अनुसार होगा :—

सारणी

अभिहित व्यवसाय	व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण की कोड संख्या/संख्याएं (1968 पैटर्न)	अनुपात	
		शिक्षु	अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकार
1	2	3	4
रसोइया (शाकाहारी)	520.20	1:5 और हर दस कर्मकारों के लिए एक और शिक्षु	

[सं० डी०जी०ई०टी०-51(12)/II/74-ए०पी०]

G.S.R. 1225.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby determines that for the designated trade specified in column 1 of the Table below, the ratio of apprentices to workers other than unskilled workers in that trade shall be as indicated in column 3 thereof :—

TABLE

Designated trade	Code No. (s) of National Classification of Occupations (1968 Pattern)	Ratio	
		Apprentices	Workers other than unskilled workers
1	2	3	4
Cook Vegetarian	520.20	1:5 and one more for every ten workers.	

[No. DGET-51/12/II/74-AP.]

सा० का० नि० 1226.—केन्द्रीय सरकार शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 2 के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के बाद, निम्नलिखित व्यवसाय को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु अभिहित व्यवसाय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

व्यवसाय	*कोड संख्या
	व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण (1968 पैटर्न)
होटल और खानपान व्यवसाय समूह	
	520.20
रसोइया (शाकाहारी)	

*भारत सरकार के श्रम मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) द्वारा स्वीकृत व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण के प्रतिनिर्देश।

[संख्या डी०जी०ई०टी०-51(12)/II/74-ए० पी०]

ओ० पी० तलवाड़, उप-सचिव

G.S.R. 1226.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 2 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) and after consultation with the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby specifies the follwing trade as a designated trade for the purposes of said Act, namely :—

TRADE	*CODE NO
	N.C.O. (1968 Pattern)
Hotel and Catering Trade Group.	
Cook (Vegetarian)	520.20

*The reference is to National Classification of Occupation adopted by the Government of India in the Ministry of Labour (Directorate General of Employment and Training).

[No. DGET-51 (12)/II/74—AP.]

O.P. TALWAR, Deputy Secy.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 1227.—कोयला खान विनियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की समाप्ति पर विचार किया जाएगा।

किन्हीं भी आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

विनियमों का प्रारूप

1. इन विनियमों का नाम कोयला खान (द्वितीय संशोधन) विनियम, 1974 है।

2. कोयला खान विनियम, 1957 में, विनियम 157 के उपविनियम (4) में—

(i) "किसी विद्युत निरापद लैम्प के किसी बल्ब को ऐसे शीशे या बल्ब के सिवाय जो मुख्य निरीक्षक, समय समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा "शब्दों के स्थान पर" किसी विद्युत निरापद लैम्प के किसी बल्ब या बैटरी को ऐसे शीशे, बल्ब या बैटरी के सिवाय, जो मुख्य निरीक्षक, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "(यथास्थिति बत्ती या बैटरी से भिन्न)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, "(बत्ती से भिन्न)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं० एस० 660/12/2/72-एम-आई०]

एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव

New Delhi, the 4th November, 1974

G.S.R. 1227.—The following draft of certain regulations further to amend the Coal Mines Regulations, 1957, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 57 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), is published as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of the period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government

DRAFT REGULATIONS

1 These regulations may be called the Coal Mines (Second Amendment) Regulation, 1974.

2 In the Coal Mines Regulations, 1957, in sub regulation (4) of regulation 157,—

(i) for the words "no bulb of an electric safety lamp shall be replaced except by a glass or bulb" the words "no bulb or battery of an electric safety lamp shall be replaced except by a glass bulb or battery" shall be substituted ,

(ii) for the brackets and words "(other than a wick or battery, as the case may be)", the brackets and words "(other than a wick)" shall be substituted

[No S—66012/2/72-M I]

S S SAHASRANAMAN, Under Secy

New Delhi, the 6th November, 1974

CORRIGENDA

G.S.R 1228.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. G S R—1273 dated the 15th November, 1973, Published in English in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (1) dated the 24th November, 1973, on pages 2265—2282, the printing errors occurring therein shall be corrected as follow—

(1) Rule 3 (a) In item (iii) of sub-clause (a) of clause I, the existing entries should be read as follows —

"all Limestone and Dolomite Mines Welfare Commissioners—ex-officio ,

(b) In item (v) of sub clause (a) of clause I, in line 3, for the word 'of' read 'to'

(2)Rule 22 : in sub-rule (3), line 3, for the word 'require' read 'required'

(3) Rule 28 In the first line after the word 'may' insert ','

(4) Rule 32 In line 5, for the word 'Commission read 'Commissioner

(5) Rule 33 In line 2, for the word 'wine' read 'mine'

(6) Rule 43 Explanation, in line 2, for the word 'then' read 'than'

(7) Rule 46 In line 4, for the word 'ommission' read 'omission'

(8) Rule 47 In sub rule (2), line 6, for the word 'th' read 'the'

(9) Rule 48 In sub-rule (1), line 7, for the word 'maor' read 'major'

(10) Rule 52 Heading, line 1, for the word 'of' read 'or

(11) Rule 60 In line 3, for the word 'sub rule' read 'sub-clause'

(12) Schedule I Item—I (a) In sub-item 3(viii) after the word 'office' add the word 'room'

(b) In first sub-para under sub-item 3, in line 7, for the word 'varandah' read 'verandah'.

(c) In second sub-para under sub-item 3, in line 8, for the word 'sall' read 'shall'

Item—II A, (d) Against item 40 for the word 'Pit Citarte' read 'Pot Citrate'

(e) Against item 67 for the word 'zinc' read 'Zinc'

(f) Against item 80 for the word 'pencilin' read 'penicillin'

Item-III B, (g) Against item 9 for the word 'bndage read 'bandage'

(h) Against item 13 for the word 'Durn' read 'Burn'

Item—III C, (i) Against item 29, for the word 'stone' read 'Stove'

(j) Against item 38 for the word 'straght' read 'straight'

(13) Schedule II Item—I, (a) Against item 3(viii) for the word 'Ware' read 'Ward'

Item—III C, (b) Against item 21 for the word 'aparatus read 'apparatus'.

(c) Against item 27 for the words and number 'Delivery 1' read 'Delivery-forceps-I—2'

(d) Against item 56 for the word 'month' read 'Mouth'

(e) Against item 61, under columns 2 for No '1' read No '2'

(f) Against item 62, under columns 2 and 3 for Nos, '2' and '1' read '1' and '2' respectively

(g) Against Item 63, under column 3 for No '2 read No 1'

Item—III D, (h) Against item 5 under column 3 for No '52' read No '50'

(14) Form B . Delete No 8 after item No 8 and revise existing item Nos 9, 10, 11, 12, 13, and 14 as item Nos 8, 9, 10, 11, 12 and 13 respectively

(15) Form C Against item 10, line 2 for the word 'make' read 'made'

(16) Form D . Under column 13 lines 7 and 8 omit '/' between 'month' and 'and'

(17) Form F In line 9, after the word 'occupier insert the word 'of'.

(18) Form H (a) In line 4 for the entry '(mine (owner)' read '(mine owner)'

(b) In line 17, for '*' substitute '**'

(c) In line 19, for the word 'spcified' read 'specified'.

(d) At the end for '' add '*' and '**'

(19) Form I (a) In para 2 line 7, for the word 'of read 'to'

(b) In para 3, line 5 for the word 'Pay' read 'pay'

(20) Form K (a) In line 6, insert the word 'in' between the words 'information' and Form F'

(b) In the 2nd para, line 16 of the Form insert '**' in place of '*'.

(c) At the end insert '' and '**' in place of ''

(21) Form L (a) In the first para, line 16 of the Form, for the word 'of' read 'to , between "amounting" and Rs"

(b) In para 2, line 1, for the word 'to' read 'of'

(c) In para 2, line 7, for the word 'of' read 'to'

(d) In para 3, line 1, insert the word 'or' between the 'make' read 'made'.

(e) In para 3, line 2, insert the word '@' before the word '12%'

(22) Form N At the end for the existing No substitute 'F No 42012/1/72-M III/M V'

[F No M-42012/1/72-M III/M V]

G. C SAKSENA, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,